रजिस्ट्री सं० डी० 222 II (1) REGISTERED No. D. 222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 24, 1971/श्रावण 2, 1893
No. 30] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 24, 1971/SRAVANA 2, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) ।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 26th April 1971

G.S.R. 1053.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regularising the method of recruitment to the post of Assistant Director (Accounts) in the Ministry of Foreign Trade, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Foreign Trade, Assistant Director (Accounts), Recruitment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post as specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. **Number, classification and scale of pay.**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of Recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 3 to 13 of the Schedule aforesaid.

5. **Disqualification.**—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.

SCHE

Recruitment Rules for the post of Assistant Director (Accounts) in the

Name of Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or non-Selection Post	Age of direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Assistant Director (Accounts).	2	General Central Service, Class I (Gazetted).	Rs. 400-400-450-30-600-35-670-EB-35-950.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable

DULE

Ministry of Foreign Trade

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation, if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which U. P. S. C. is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Not applicable.	By transfer on deputation.	*Transfer on deputation.* Accounts/Audit Officers, or S.A.S. Accountants with 10 years service as such from any of the Organised Accounts Departments *e.g.*, the Indian Audit and Accounts Departments, Indian Defence Accounts department, Indian Railway Accounts Department, etc. (Period of deputation—ordinarily not exceeding 3 years).	Not applicable.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

[No. A/120/8/14/70-E.I.]

L.S. RASTOGI, Under Secy.

विदेश व्यापार मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 1971

सा० का० नि० 1053.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति विदेश व्यापार मंत्रालय में सहायक निदेशक (लेखा) के पद की भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** .—(1) ये नियम विदेश व्यापार मंत्रालय, सहायक निदेशक (लेखा) भर्ती नियम, 1971 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना** .—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पद पर लागू होंगे ।

3. **संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान** .—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट होंगे ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयुसीमा तथा अन्य अर्हताएं** .—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, अर्हताएं तथा अन्य सम्बन्धित शर्तें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 4 से 13 तक में विनिर्दिष्ट होंगी ।

5. **निरर्हताएं** .—वह व्यक्ति उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो जिसकी एक पत्नी/पति जीवित हो, अथवा

(ख) जिसकी एक पत्नी/पति जीवित रहते हुए उसने किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया हो ।

परन्तु केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा विवाह उक्त व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अन्तर्गत अनुमेय है और इस नियम के प्रवर्तन से छूट देने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति** .—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जायेंगे और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी श्रेणी अथवा वर्ग या व्यक्तियों के बारे में इन नियमों के उपबन्धों में से किसी को भी शिथिल कर सकेगी ।

विदेश व्यापार मंत्रालय में सहायक (लेखा)

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद अथवा अप्रवरण पद	सीधी भर्ती वालों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी
1	2	3	4	5	6	7	8
सहायक निदेशक (लेखा)	2	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग I (राजपत्रित)	400—40—450—30—600—35—670—द०रो०—35—950 र०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

पद के लिये भर्ती नियम

परिवीक्षा की कालावधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, क्या भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अंतरण तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अंतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अंतरण किया जाना है	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना
9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर अंतरण द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर अंतरण किसी भी संगठित लेखा विभाग भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग, भारतीय रक्षा लेखा विभाग भारतीय रेलवे लेखा विभाग आदि के ऐसे लेखा/परीक्षा अधिकारी अथवा वरिष्ठ लेखा सेवा लेखा पाल जो दस वर्ष का अनुभव रखते हों। (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथा अपेक्षित

[सं०फा०ए०/12018/14/70-ई०1]

एल० एस० रस्तोगी, अवर सचिव ।

COFFEE CONTROL

New Delhi, the 22nd June 1971

G.S.R. 1054.—In exercise of the powers conferred by section 48 of the Coffee Act, 1942 (7 of 1942), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Coffee Board Servants (Conduct) Rules, 1968, namely:—

1. (1) These rules may be called the Coffee Board Servants (Conduct) Amendment Rules, 1971.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Coffee Board Servants (Conduct) Rules, 1968 (hereinafter referred to as the said rules) for sub-rule (4) of rule 16, the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(4) (i) No Board servant shall, save in the ordinary course of business with a bank or a public limited company, either himself or through any member of his family or any other person acting on his behalf,—

(a) lend or borrow or deposit money, as a principal or an agent, to, or from, or with, any person or firm or private limited company within the local limits of his authority or with whom he is likely to have official dealings/or otherwise place himself under any pecuniary obligation to such person or firm or private limited company; or

(b) lend money to any person at interest or in a manner whereby return in money or in kind is charged or paid:

Provided that a Board servant may, give to, or accept from, a relative or a personal friend, a purely temporary loan of a small amount free of interest, or operate a credit account with a bona fide tradesman or make an advance of pay to his private employee:

Provided further that nothing in this sub-rule shall apply in respect of any transaction entered into by a Board servant with the previous sanction of the Board.

(ii) When a Board servant is appointed or transferred to a post of such nature as would involve him in the breach of any of the rpovisions of sub-rule (2) or sub-rule (4), he shall forthwith report the circumstances to the prescribed authority and shall thereafter act in accordance with such order as may be made by such authority."

3. In rule 22 of the said rules,—

(i) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

"(b) not be under the influence of any intoxicating drink or drug during the course of his duty and shall also take due care that the performance of his duties at any time is not affected in any way by the influence of such drink or drug.";

(ii) in clause (d), the word "habitually" shall be omitted.

[No. F. 9(15)Plant(B)/70.]

क कौ नियत्रण

[illegible] जन

सा० का० नि० 105 [illegible]

धारा 4 [illegible]

और [illegible]

2. काफी बोर्ड (सेवक) नियम 1968 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में नियम 16 के उपनियम (4) के लिए निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा। अर्थात्:—

(4) (i) बोर्ड का कोई भी सेवक किसी बैंक या पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के साथ कारबार के मामूली अनुक्रम को छोड़कर न तो स्वयं और न अपने परिवार के किसी सदस्य की या अपनी ओर से कार्य करने वाले अन्य किसी व्यक्ति की मार्फत् :—

(क) अपने प्राधिकरण की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी व्यक्ति या फर्म या प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी को या जिसके साथ उसका शासकीय कार्य व्यवहार रखना सम्भाव्य है उसको मालिक या अभिकर्ता के रूप में कोई धन उधार नहीं देगा या उससे उधार भी लेगा या उसके पास धन जमा कराएगा और [illegible] ऐसे व्यक्ति या फर्म या प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी को किसी [illegible] के अधीन करेगा।

(ख) किसी व्यक्ति को ब्याज पर या उधार या [illegible] कि रकम की वापसी धन के रूप में या वस्तु के रूप में [illegible] जाती हो:

परन्तु बोर्ड का कोई भी सेवक अपने [illegible] का पूर्णत अस्थायी उधार बिना ब्याज के दे सकेगा या [illegible] सकेगा या [illegible] के यहां उधार खाता रख सकेगा या अपने निजी कर्मचारी को अग्रिम वेतन दे [illegible]:

परन्तु यह और कि इस उपनियम की कोई भी बात [illegible] लागू नहीं होगी जो बोर्ड की पूर्व मंजूरी से, बोर्ड सेवक [illegible] किया जाए।

(ii) जब बोर्ड का कोई सेवक ऐसे [illegible] के किसी [illegible] स्थानान्तरण किया जाता है [illegible] (2) [illegible] सम्बन्धों को भंग करने में [illegible] प्राधिकारी को [illegible] ऐसे प्राधि-कारी [illegible]

[illegible]

[illegible] :—

[illegible]

CARDAMOM CONTROL

New Delhi, the 22nd June 1971

G.S.R. 1055.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 7 and sub-section (1) of section 33 of the Cardamom Act, 1965 (42 of 1965), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

PART I—*General*

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Cardamom Board Service (Classification, Control and Appeal) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires:

(a) "appointing authority" in relation to a oard's employee means:

(i) the authority empowered to make appointments to the post which the Board's employee for the time being holds, or

(ii) the authority which appointed the Board's employee to a post which he for the time being holds, or

(iii) where the Board's employee having been a permanent member of any other service or having substantively held any other permanent post, not under the Board, but has been in continuous employment of the Board, the authority which appointed him to that service or to any grade in that service or to that post.

(d) "Chairman" means the Chairman of the Board,

(c) "Board's employee" means a person employed under the Board other than the Chairman, the officer appointed under sub-section (1) of section 7 or sub-section (2) of section 7 of the Cardamom Act, 1965, or any Government officer lent to the Board.

(d) "Chairman" means the chairman of the Board.

(e) "Director" means the Director of Cardamom Development.

(f) "disciplinary authority" in relation to the imposition of a penalty on a BUoard's employee means the authority competent under these rules to impose on him that penalty.

(g) "Executive Committee" means the Executive Committee of the Board.

(h) "Schedule" means schedule to these rules.

(i) "Service" means service under the Board.

3. **Application.**—(1) These rules shall apply to all the Board's employees except—

(a) persons in casual employment;

(b) persons on daily wages; and

(c) persons not brought to regular establishment.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Central Government may, by order, exclude any class of Board's employees from the operation of all or any of these rules.

(3) If any doubt arises:—

(a) whether these rules or any of them apply to any person, or

(b) whether any person to whom these rules apply belongs to a particular class of Board's employees,

the matter shall be referred to the Central Government whose decision thereon shall be final.

4. **Protection of rights and privileges conferred by any law or agreement.**—Nothing in these rules shall operate to deprive any Board's employee of any right or privilege to which he may be entitled—

(a) by or under any law for the time being in force, or

(b) by the terms of any agreement entered into by the Board.

PART II—*Classification and appointments*

5. **Classification of post.**—All posts under the Board's service shall be classified as follows, namely:—

Sl. No.	Description of post	Classification of post
1	2	3
1.	A post carrying a pay or a scale of pay with a maximum of not less than Rs. 950/-	Class I
2.	A post carrying a pay or a scale of pay with a maximum of not less than Rs. 575/- but less than Rs. 950/-	Class II
3.	A post carrying a pay or a scale of pay with a maximum of over Rs. 110 - but less than Rs. 575/-	Class III
4.	A post carrying a pay or a scale of pay with a maximum of which is Rs. 110/- or less	Class IV

Appointments to any class of posts shall be made as shown in the Schedule.

PART III—*Suspension*

6. **Suspension.**—(i) (a) A Board's employee may be placed under suspension from service pending inquiry into charges against him—

(i) where such suspension is necessary in the interests of the Board, or

(ii) where a disciplinary proceeding against him is contemplated or is pending, or

(iii) where a case against him in respect of any criminal offence is under investigation, inquiry or trial.

(b) The appointing authority or any authority empowered by the Chairman in that behalf may place a Board's employee under suspension.

NOTE:—An employee shall not be suspended except when it is really necessary, and the authority empowered to suspend shall be guided by the following considerations:

(a) there must be a strong *prima facie* case against the delinquent;

(b) if the offence is of such a serious nature that dismissal will be the probable punishment or such that it is inadvisible that the offender should be allowed to continue to perform the duties of his office pending decision on the case, suspension is justifiable;

(c) unless there is some very strong reason why the offender should not be allowed to continue to work until the case has been decided, suspension should not be resorted to;

(d) no one should be suspended for petty breaches of discipline and for minor departmental offences;

(e) an employee can be suspended under any of the following circumstances:

(i) if he wilfully and obstinately refuses to carry out an order, or

(ii) if during the course of an inquiry his retention in his appointment would hamper or frustrate such inquiry; or

(iii) if he is in police custody; or

(iv) if he is charged with an offence of a nature, which, if proved against him, would ordinarily result in his dismissal; or

(v) if a case against him in respect of any criminal offence is under investigation or trial:

Provided that, where the order of suspension is made by an authority lower than the appointing authority or without the specific authority from the Chairman, such authority shall forthwith report to the Chairman or the concerned authority the circumstances in which the order was made and seek the approval of the action taken by him.

(2) A Board's employee shall be deemed to have been placed under suspension by an order of appointing authority—

(a) with effect from the date of his detention, if he is detained in custody, whether on a criminal charge or otherwise for a period exceeding forty-eight hours;

(b) with effect from the date of his conviction if, in the event of a conviction for an offence, he is sentenced to a term of imprisonment exceeding forty-eight hours and is not forthwith dismissed or removed or compulsorily retired consequent to such conviction.

Explanation.—The period of forty-eight hours referred to in clause (b) shall be computed from the commencement of the imprisonment after the conviction and for this purpose intermittent periods of imprisonment, if any, shall be taken into account.

(3) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon a Board's employee under suspension is set aside in appeal or on review under these rules and the case is remitted for further inquiry or action or with any directions, the order of his suspension shall be deemed to have continued in force on and from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall remain in force until further orders.

(4) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon a Board's employee is set aside or declared or rendered void in consequence of or by a decision of a court of law and the disciplinary authority, on a consideration of the circumstances of the case, decides to hold a further inquiry against him on the allegation on which the penalty of dismissal, removal or compulsory retirement was originally imposed, the Board's employee shall be deemed to have been placed under suspension by the appointing authority from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement, and shall continue to remain under suspension until further orders.

7. **Order of suspension to continue until modified.**—(1) An order of suspension made or deemed to have been made under this rule shall continue to remain in force (a) until it is modified or revoked by the authority competent to do so, or (b) where, in the opinion of the authority aforesaid, he has engaged himself in activities prejudicial to the interest of the security of the State.

(2) Where a Board's employee is suspended or is deemed to have been suspended, (whether in connection with any disciplinary proceeding or otherwise) the authority competent to place him under suspension, may, for reasons to be recorded by him in writing, direct that the Board's employee shall continue to be under suspension until the termination of all or any such proceedings.

(3) An order of suspension made or deemed to have been made under this rule may at any time be modified or revoked by the authority which made or is deemed to have made the order or by any authority to which that authority is subordinate.

NOTE:—The grant of subsistence allowance shall be governed by the provisions of the Fundamental Rules and Supplementary Rules.

PART IV—*Penalties and Disciplinary Authorities*

8. **Penalties.**—The following penalties may, for good and sufficient reasons and as hereinafter provided, be imposed on a Board's employee, namely:—

Minor Penalties

(i) Censure;

(ii) Withholding of his promotion;

(iii) Recovery from his pay, of the whole or part, of any pecuniary loss caused by him to the Board by negligence or breach of orders;

(iv) Withholding of increments of pay;

Major Penalties

(v) Reduction to a lower stage in the time-scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the Board's employee will earn increment of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay;

(vi) Reduction to a lower time-scale of pay, grade, or post which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Board's employee to the time-scale of pay, grade, or post from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions or restoration to that grade or post:

(vii) Compulsory retirement;

(viii) Removal from service which shall not be a disqualification for future employment.

(ix) Dismissal from service which shall be a disqualification for future employment

Explanation.—The following shall not amount to penalty within the meaning of this rule, namely:—

(i) Withholding of increments of pay of a Board's employee for his failure to pass any departmental examination in accordance with the rules or orders governing the post which he holds or the terms of his appointment;

(ii) Stoppage of a Board's employee at the efficiency bar in the time-scale of pay on the ground of his unfitness to cross the bar;

(iii) Non-promotion of a Board's employee whether in a substantive or officiating capacity, after consideration of his case, to a grade or post for promotion to which he is eligible;

(iv) Reversion of a Board's employee officiating in a higher grade or post, to a lower grade or post, on the ground that he is considered to be unsuitable for scuh higher grade or post or on any administrative ground unconnected with his conduct;

(v) Reversion of a Board's employee appointed on probation to any other grade or post to his permanent grade or post during or at the end of the period of probation in accordance with the terms of his appointment or the rules and orders governing such probation;

(vi) Replacement of the service of a Board's employee whose services had been borrowed from a Central Government/State Government or any other authority, at the disposal of that Government or the authority from which the services of such a Board's employee had been borrowed;

(vii) Compulsory retirement of a Board's employee in accordance with the provisions relating to his superannuation or retirement;

(viii) Termination of the services:—

(a) of a Board's employee appointed on probation, during or at the end of the period of his probation, in accordance with the terms of his appointment or the rules and orders governing such probation;

(b) of a Board's employee, appointed under an agreement in accordance with the terms of such agreement.

9. **Disciplinary authority.**—(1) The Central Government may impose any of the penalties specified in rule 8 on any Board's employee.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-rule (1), the penalties mentioned in rule 8 may be imposed on a Board's employee by the authorities specified in the Schedule.

10. **Institution of disciplinary proceedings.**—(1) The Central Government or any other authority empowered by it by general or special order may—

(a) institute disciplinary proceedings against any Board's employee;

(b) direct a disciplinary authority to institute disciplinary proceedings against any Board's employee on whom that disciplinary authority is competent to impose under these rules any of the penalties specified in rule 8.

(2) A disciplinary authority competent under these rules to impose any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of rule 8 may institute disciplinary proceedings against any Board's employee for the imposition of any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 8, notwithstanding that such disciplinary authority is not competent under these rules to impose any of the latter penalties.

PART V—*Procedure for Imposing Penalties*

11. **Procedure for imposing major penalties.**—(1) No order imposing on a Board's employee any of the penalties specified in clauses (v) and (ix) of rule 8 shall be passed except after an inquiry, held as far as may be, in the manner hereinafter provided.

(2) The disciplinary authority shall frame definite charges on the basis of the allegations on which the inquiry is proposed to be held. Such charges, together with a statement of the allegations on which those are based, shall be communicated in writing to the Board's employee, and he shall be required to submit, within such time as may be specified by the disciplinary authority (a) to such authority; or (b) where a Board of Inquiry or Inquiry Officer has been appointed under sub-rule (3) to that Boad or Officer, a written statement of his defence and also to state whether he desires to be heard in person.

Explanation.—In this sub-rule and in sub-rule (3), the expression "the disciplinary authority" shall include the authority competent under these rules to impose upon the Board's employee any of the penalties in clauses (i) to (iv) of rule 8.

(3) The disciplinary authority may inquire into the charges itself or, if it considers it necessary so to do, it may, either at the time of communicating the charges to the Board's employee under subrule (2) or at any time thereafter, appoint a Board of Inquiry or Inquiring Officer for the purpose.

(4) The Board's employee shall, for the purpose of preparing his defence, be permitted to inspect and take extracts from such official records as he may specify, provided that such permission may be refused, if for reasons to be recorded in writing, in the opinion of the disciplinary authority, such records are not relevant for the purpose or it is against public interest to allow him access thereto.

(5) On receipt of the written statement of defence, or if no such statement is received within the time specified, the disciplinary authority, or, as the case may be, the Board of Inquiry or the Inquiring Officer may inquire into such of the charges as are not admitted.

(6) The disciplinary authority may nominate any person to present the case in support of the charges before the authority inquiring into the charges (hereinafter referred to as the inquiring authority). The Board's employee may present the case with the assistance of any other Board's employee approved by the disciplinary authority, but may not engage a legal practitioner for the purpose unless the person nominated by the disciplinary authority as aforesaid is a legal practitioner or unless the disciplinary authority having regard to the circumstances of the case, so permits.

(7) The inquiring authority, shall, in the case of the inquiry, consider such documentary evidence as may be relevant or material in regard to the charges. The Board's employee shall be entitled to cross-examine witnes examined in support of the charges and to give evidence in person. The person presenting the case in support of the charge shall be entitled to cross-examine the Board's employee and the witnesses examined in his defence. If the inquiring authority declines to examine any witness on the ground that his evidence is not relevant or material, it shall record its reasons in writing.

(8) At the conclusion of the inquiry, the inquiring authority shall prepare a report of the inquiry, recording its findings of each of the charges together with reasons therefor. If, in the opinion of such authority, the proceedings of the inquiry establish charges different from those originally framed, it may record findings on such charges provided that findings on such charges shall not be

recorded unless the Board's employee has admitted the facts constituting them or has had an opportunity of defending himself against them.

(9) The record of the inquiry shall include:

(i) the charges framed against the Board's employee and the statement of allegations furnished to him under sub-rule (2);

(ii) his written statement of defence, if any;

(iii) the oral evidence taken in the course of the enquiry;

(iv) the documentary evidence considered in the course of the inquiry;

(v) the orders, if any, made by the disciplinary authority and the inquiring authority in regard to the inquiry; and

(vi) a report setting out the findings on each charge and the reasons therefor.

(10) The disciplinary authority shall, if it is not the inquiring authority, consider the record of the enquiry and record its findings on each charge.

(11) (i) If the disciplinary authority, having regard to its findings on the charges, is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 8 should be imposed, it shall,—

(a) furnish to the Board's employee a copy of the report of the Inquiring Authority and, where the disciplinary authority is not the inquiring authority, a statement of its findings together with brief reasons for disagreement, if any, with the findings of the inquiring authority, and

(b) give the Board's employee a notice stating the penalty proposed to be imposed on him and calling upon him to submit within a specified time such representation as he may wish to make against the proposed penalty:

Provided that such representation shall be based only on the evidence adduced during the inquiry.

(ii) The disciplinary authority shall consider the representation, if any, made by the Board's employee in response to the notice under clause (i) and determine what penalty, if any, should be imposed on the Board's employee and pass appropriate orders on the case.

(12) If the disciplinary authority, having regard to its findings, is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of rule 8 should be imposed, it shall pass appropriate orders in the case.

(13) Orders passed by the disciplinary authority shall be communicated to the Board's employee who shall also be supplied with a copy of the report of the inquiring authority, and where the disciplinary authority, is not the inquiring authority, a statement of its findings together with the brief reasons of disagreement, if any, with the findings of the inquiring authority, unless they have already been supplied to him.

12. **Opportunity to make representation.**—(1) No order imposing any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of rule 8 shall be passed except after—

(a) the Board's employee is informed in writing of the proposal to take action against him and of the allegations on which it is proposed to be taken and is given an opportunity to make any representation he may wish to make; and

(b) such representation, if any, is taken into consideration by the disciplinary authority.

(2) The record of proceedings in such cases shall include—

(i) a copy of the intimation to the Board's employee of the proposal to take action against him;

(ii) a copy of the statement of allegation communicated to him;

(iii) his representation, if any; and

(iv) the orders on the case together with the reasons therefor.

13. **Common proceeding in respect of two or more employees.**—(1) Where two or more Board's employees are concerned in any case, the Central Government or any other authority competent to impose the penalty of dismissal from service on all such Board's employees may make an order directing that disciplinary action against all of them may be taken in a common proceeding.

(2) (a) Notwithstanding anything contained in clause (b) of sub-rule (1), if in a case it is proposed after considering the representation, if any, made by the Board's employee under clause (a) of that sub-rule, to withhold increments of pay and such withholding of increments is likely to affect adversely the amount of pension payable to the Board's employee or to withhold increments of pay for a period exceeding three years or to withhold increments of pay with cumulative effect for any period, an inquiry shall be held in the matter laid down in sub-rules (3) to (12) of rule 11, before making any order imposing on the Board's employee any such penalty.

(3) Any such order shall specify—

(i) the authority which may function as the disciplinary authority for the purpose of such common proceeding;

(ii) the penalties specified in rule 8 which such disciplinary authority shall be competent to impose; and

(iii) whether the procedure prescribed in rule 11 or rule 12 may be followed in the proceeding.

14. **Special procedure in certain cases.**—Notwithstanding anything contained in rules 11, 12 and 13—

(a) where a penalty is imposed on a Board's employee on the ground of conduct which has led to his conviction of a criminal charge, or

(b) where the disciplinary authority is satisfied for reasons to be recorded in writing that it is not reasonably practicable to follow the procedure prescribed in the said rules, or

(c) where the Central Government is satisfied that in the interest of the Board, it is not expedient to follow the procedure,

the disciplinary authority may consider the circumstances of the case and pass such orders thereon as it deems fit.

15. **Provision regarding borrowed officers.**—(1) Where an order of suspension is made or a disciplinary proceeding is taken against a Board's employee whose services have been borrowed from the Central Government or a State Government, local or any other authority, the authority lending his services (hereinafter in this rule referred to as "the lending authority") shall forthwith be informed of the circumstances leading to the order of his suspension or the commencement of the disciplinary proceeding, as the case may be.

(2) In the light of the findings in the disciplinary proceeding taken against the Board employee—

(i) if the disciplinary authority is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of rule 8 should be imposed on him, it may, after consultation with the lending authority, pass such orders on the case as it deem necessary:

Provided that in the event of a difference of opinion between the disciplinary authority and the lending authority the services of the Board's employee shall be replaced at the disposal of the lending authority;

(ii) if the disciplinary authority is of one opinion that any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 8 should be imposed on him, the services of the Board's employee shall be replaced at the disposal of the lending authority; and the proceedings of the inquiry shall be transmitted to it for such action as might deem necessary.

PART VI—*Appeal*

16. **Orders against which no appeal lies.**—Notwithstanding anything contained in this Part, no appeal shall lie against:—

(i) any order made by the Central Government;

(ii) any order of an interlocutory nature or of the nature of a step-in-aid or the final disposal of a disciplinary proceeding, other than an order of suspension;

(iii) any order passed by an inquiring authority in the course of an inquiry under rule 11.

17. **Orders against which appeal lies.**—Subject to the provision of rule 16, a Board's employee may prefer an appeal against all or any of the following, namely:—

(i) an order of suspension made or deemed to have been made under rule 7;

(ii) an order imposing any of the penalties specified in rule 8 whether made by the disciplinary authority or by any appellate or reviewing authorit

(iii) an order enhancing any penalty, imposed under rule 8;

(iv) an order which.—

(a) denies or varies to his disadvantage his pay, allowances, pension or other conditions of service as regulated by rules or by agreement. or

(b) interprets to his disadvantage the provisions of any such rule or agreement;

(v) an order.—

(a) stopping him at the efficiency bar in the time scale of pay on the ground of his unfitness to cross the bar;

(b) reverting him while officiating in a higher grade or post to a lower grade or post, otherwise than as a penalty;

(c) reducing or withholding the pension or denying the maximum pension admissible to him under the rules;

(d) determining the subsistence and other allowances to be paid to him for the period of suspension or for the period during which he is deemed to be under suspension or for any portion thereof;

(e) determining his pay and allowances:—

(i) for the period of suspension; or

(ii) for the period from the date of his dismissal, removal, or compulsory retirement from service or from the date of his reduction to a lower grade, post, time scale of pay or a stage in a time scale of pay, to the date of his reinstatement of restorate to his grade or post.

(f) determining whether or not the period from the date of his suspension or from the date of his dismissal, removal, compulsory retirement or reduction to a lower grade, post, time scale of pay or a stage in a time scale of pay, to the date of his reinstatement or restoration to his grade or post;

shall be treated as a period spent on duty for any purpose.

Explanation.—In this rule:—

(i) the expression "Board's employee" includes a person who has ceased to be in the service of the Board;

(ii) the expression "pension" includes additional pension, gratuity and any other retirement benefit.

18. **Appellate authorities.**—(1) A Board's employee, including a person who has ceased to be in the service of the Board, may prefer an appeal against all or any of the orders specified in rule 17 to the authority specified in this behalf in the Schedule.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1):—

(i) an appeal against an order in common proceeding held under rule 16 shall lie to the authority to which the authority functioning as the disciplinary authority for the purpose of that proceeding is immediately subordinate;

(ii) where the person who made the order appealed against becomes by virtue of his subsequent appointment or otherwise, the appellate authority in respect of such order, an appeal against such order shall lie to the authority to which such person is immediately subordinate.

19. **Period of limitation for appeals.**—No appeal preferred under this Part shall be entertained unless such appeal is preferred within a period of forty-five days from the date on which a copy of the order appealed against is delivered to the appellant:

Provided that the appellate authority may entertain the appeal after the expiry of the said period, if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal in time.

20. **Form of contents of appeal.**—(1) Every person preferring an appeal shall do so separately and in his own name.

(2) The appeal shall be presented to the authority to whom the appeal lies, a copy being forwarded by the appellant to the authority which made the order appealed against. It shall contain all material statements and arguments on which the appellant relies, shall not contain any disrespectful or improper language and shall be complete in itself.

(3) The authority which made the order appealed against shall on receipt of a copy of the appeal, forward the same with its comments thereon together with the relevant records to the appellate authority without any avoidable delay, and without waiting for any direction from the appellate authority.

21. **Consideration of appeal.**—(1) In the case of an appeal against an order of suspension, the appellate authority shall consider whether in the light of the provisions of rules 6 to 10 and having regard to the circumstances of the case, the order of suspension is justified or not and confirm or revoke the order accordingly.

(2) In the case of an appeal against an order imposing any of the penalties specified in rule 8 or enhancing any penalty imposed under the said rule, the appellate authority shall consider:—

(a) whether the pocedure laid down in the rules has been complied with, and if not whether such non-compliance has resulted in the violation of any provisions of the Constitution of India or in the failure of justice;

(b) whether the findings of the disciplinary authority are warranted by the evidence on the record; and

(c) whether the penalty or the enhanced penalty imposed is adequate, inadequate or severe; and pass orders:—

(i) confirming, enhancing, reducing or setting aside the penalty; or

(ii) remitting the case to the authority which imposed or enhanced the penalty or to any other authority with such direction as it may deem fit in the circumstances of the case:

Provided that

(i) if the enhanced penalty which the appellate authority proposes to impose is one of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 8 and an inquiry under rule 11 has not already been held in the case, the appellate authority shall, subject to the provisions of rule 14, itself hold such inquiry or direct that such inquiry be held in accordance with the provisions of rule 11 and thereafter, on a consideration of the proceedings such inquiry and after giving the appellant a reasonable opportunity as far as may be in accordance with the provisions of rule 11 of making a representation against the penalty proposed on the basis of the evidence adduced during such inquiry, make such orders as it deem fit;

(ii) if the enhanced penalty which the appellate authority proposes to impose is one of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 8 and an inquiry under rule 14 has already been held in the case, the appellate authority shall after giving the appellant a reasonable opportunity, as far as may be in accordance with the provisions of rule 11 of making a representation against the penalty proposed on the basis of the evidence adduced during the inquiry, make such orders as may deem fit; and

(iii) no order imposing an enhanced penalty shall be made in any other case unless the appellant has been given a reasonable opportunity, as far as may be in accordance with the provisions of rule 12, of making a representation against such enhanced penalty

(3) In an appeal against any other order specified in rule 17 the appellate authority shall consider all the circumstances of the case and make such orders as it may deem just and equitable.

22. **Implementation of orders in appeal.**—The authority which made the order appealed against shall give effect to the orders passed by the appellate authority.

23. **Withholding of appeals.**—(1) The authority which made the order appealed against may withhold the appeal if:—

(i) it is an appeal against an order from which no appeal lies; or

(ii) it does not comply with any of the provisions of sub-rule (2) of rule 20; or

(iii) it is not submitted within the period specified in rule 19 and no cause is shown for the delay; or

(iv) it is a repetition of an appeal already decided and no new facts or circumstances are adduced:

Provided that an appeal withheld on the ground only that it does not comply with the provisions of sub-rule (2) of rule 20 shall be returned to the appellant and, if resubmitted within one month after compliance with the said provisions, shall not be withheld.

(2) Where an appeal is withheld, the appellant shall be informed of the fact and the reasons therefor.

(3) At the commencement of each quarter, a list of appeals withheld by any authority during the previous quarter, together with the reasons for withholding them, shall be furnished by that authority to the Appellate Authority.

PART VII—*Review*

24. **Review.**—(1) Notwithstanding anything contained in the rules, the Central Government may, at any time, either on its own motion or otherwise, call for the records of any inquiry and review any order made under these rules and:—

(a) confirm, modify or set aside the order; or

(b) confirm, reduce, enhance or set aside the penalty imposed by the order, or impose any penalty where no penalty has been imposed; or

(c) remit the case to the authority which made the order or to any other authority directing such authority to make such further inquiry as it may consider proper in the circumstances of the case; or

(d) pass such other orders as it may deem fit:

Provided that no order imposing or enhancing any penalty shall be made by any reviewing authority unless the Board's employee concerned has been given a reasonable opportunity of making a representation against the penalty proposed and where it is proposed to impose any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 8 or to enhance the penalty imposed by the order sought to be reviewed, to any of the penalties specified in those clauses, no such penalty shall be imposed except after an inquiry in the manner laid down in rule 11 and after giving a reasonable opportunity to the Board's employee concerned of showing cause against the penalty proposed on the evidence adduced during the inquiry.

(2) The Chairman may, on his own motion or otherwise, call for the records of the case in a disciplinary proceeding taken by a subordinate authority, review any order passed in such a case and pass such orders as he deems fit, as if the Board's employee had preferred an appeal against such order:

Provided that no action under this sub-rule shall be initiated more than six months after the date of the order to be reviewed.

(3) An application for review shall be dealt with in the same manner as if it were an appeal under these rules.

PART VIII—*Miscellaneous*

25. **Service of orders.**—Every order, notice and other process made or issued under these rules shall be served in person on the Board's employee concerned or communicated to him by registered post.

26. **Power to relax time limit.**—Save as otherwise expressly provided in these rules, the authority competent under these rules to make any order may, for good and sufficient reasons or if sufficient cause is shown, extend the time specified in these rules or condone any delay.

27. **Saving.**—(1) Any proceedings pending at the commencement of these rules shall be continued and disposed of as far may be, in accordance with the provisions of these rules.

(2) Nothing in these rules shall be construed as depriving any person to whom these rules apply, of any right of appeal which had accrued to him under the rules, notifications or orders in force before the commencement of these rules.

(3) An appeal pending at the commencement of these rules against an order made before such commencement shall be considered and orders thereon shall be made in accordance with these rules, as if such order were made and the appeal were preferred under these rules.

(4) As from the commencement of these rules any appeal or application for review against any orders made before such commencement shall be preferred or made under these rules, as if such orders were made under these rules:

Provided that nothing in these rules shall be construed as reducing any period of limitation for any appeal or review provided by any rule in force before the commencement of these rules.

28. **Removal of doubts.**—If any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of these rules, the matter shall be referred to the Central Government for decision.

SCHEDULE

S. No.	Description of Post	Appointing Authority	Authority competent to impose penalties	Nature of Penalty which the Authority specified in column 4 may impose	Appellate Authority	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
CLASS I POSTS						
1	Director of Cardamon Development.	Central Government	Central Government	All	Central Government	Note : Penalty of censure may be imposed by the Chairman and the matter may be reported to the Ministry.
2	Secretary	Do.	Do.	All	All	
3	Assistant Director (Technical)	Executive Committee	Executive Committee	All	Do.	Penalty of censure may be imposed by the Chairman and the matter reported to the Executive Committee.
4	Publicity Officer	Do.	Do.	All	Do.	
CLASS II POSTS						
5	Superintendent	Chairman in consultation with the Executive Committee	Chairman	All	Do.	
6	Technical Officer	Do.	Chairman	All	Do.	
7	Accountant	Do.	Chairman	All	Do.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
CLASS III POSTS						
8	Assistant	Chairman	Chairman	All	Central Government	
9	Stenographer (Senior and Junior)	Chairman	Chairman	All	Do.	
10	Clerks (Upper and Lower Division)	Chairman	Chairman	All	Do.	
11	Staff Car Driver	Chairman	Chairman	All	Do.	The Penalty of censure may be imposed by the Director and the matter reported to the Chairman.
CLASS IV POSTS						
12	Gestetner Operator	Director	Director	All	Chairman	
13	Daftry	Director	Director	All	Chairman	
14	Peons, Watchmen, Mistries and Laboratory Attenders.	Director	Director	All	Chairman	
			TECHNICAL POSTS			
CLASS II POSTS						
15	Statistical Officer	Chairman in Consultation with the Executive Committee.	Chairman	All	Central Government	
16	Cooperative Officer	Chairman in consultation with the Executive Committee	Chairman	(i) to (iv) of rule II.		
17	Liaison Officer	Do.	Chairman	Al	Central Government	The penalty of censure may be imposed by the Director and the matter reported to the Chairman.
18	Field Officers	Do.	Chairman	All	Do.	Do.
CLASS III POSTS						
19	Junior Field Officer	Chairman	Chairman	All	Do.	Do.
20	Farm Assistant	Chairman	Chairman	All	Do.	The penalty of censure may be imposed by the Director and the matter may be reported to the Chairman.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21	Laboratory Assistant	Chairman	Chairman	All	Central Government	The Penalty of censure may be imposed by the Director and the matter may be reported to the Chairman.
22	Field Assistant	Chairman	Chairman	All	Do.	Do.
			TECHNICAL (SCIENTIFIC) POSTS			
23	Deputy Director	Executive Committee	Executive Committee	All	Central Government	The Penalty of censure may be imposed by the Director or Chairman and the matter reported to the Executive Committee.
24	Pathologist, Entomologist, Agricultural Chemist and similar sectional heads.	Executive Committee	Executive Committee	All	Central Government	Do.
CLASS II POSTS						
25	Research Assistants	Chairman in consultation with the Executive Committee	Chairman	All	Do.	Do.

[No. 29(53) Plant(B)/68]

A. K. MISRA,
Deputy Director.

इलायची नियंत्रण

नई दिल्ली, 22, जून, 1971

सा०का०नि० 1055.—इलायची अधिनियम, 1965 (1965 का 42) की धारा 7 की उप-धारा (3) और धारा 33 की उप-धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

भाग 1—साधारण

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** —

(1) ये नियम इलायची बोर्ड सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1971 कहे जा सकेंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं** :—

इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) बोर्ड के कर्मचारी के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है :—

(i) वह प्राधिकारी जो, उस पद पर, जिसको बोर्ड का कर्मचारी तत्समय धारण करता हो नियुक्ति करने के लिए सशक्त हो, या

(ii) वह प्राधिकारी जिसने, बोर्ड के कर्मचारी को किसी पद पर जिसको वह तत्समय धारण करता हो, नियुक्त किया हो, या

[(iii) जहां बोर्ड का कर्मचारी, किसी अन्य सेवा का स्थायी सदस्य रहा था या अधिस्थायी रुप से कोई अन्य स्थायी पद धारण करता था, जो बोर्ड के अधीन नहीं था, किन्तु बोर्ड के सतत्नियोजन में रहा हो तो वह प्राधिकारी जिसने उसे, उस सेवा पर या उस सेवा में किसी श्रेणी में या उस पद पर नियुक्त किया हो ।

(ख) "बोर्ड" से इलायची बोर्ड अभिप्रेत है

(ग) "बोर्ड का कर्मचारी" से अध्यक्ष से भिन्न बोर्ड के अधीन नियोजित कोई व्यक्ति, इलायची अधिनियम, 1965 की धारा 7 की उपधारा (1) या धारा 7 की उप–धारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारी, या बोर्ड को सेवार्थ उधार दिया गया कोई सरकारी अधिकारी, अभिप्रेत है ।

(घ) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है ।

(ङ) "निदेशक" से इलायची विकास का निदेशक अभिप्रेत है ।

(च) "बोर्ड के कर्मचारी पर किसी शास्ति के अधिरोपण के संबंध में अनुशासन-प्राधिकारी" से वह प्राधिकारी अभिप्रेत है जो इन नियमों के अधीन उस पर उस शास्ति को अधिरोपित करने के लिए सक्षम हो :

(छ) "कार्यपालिका समिति" से बोर्ड की कार्यपालिका समिति अभिप्रेत है ।

(ज) "अनुसूची" से इन नियमों की अनुसूची अभिप्रेत है ।

(झ) "सेवा" से बोर्ड के अधीन सेवा अभिप्रेत है ।]

3. **लागू होना** :—

(1) ये नियम उन व्यक्तियों के सिवाय —

(क) जो आकस्मिक नियोजन में हों ;

(ख) जो दैनिक मजदूरी पर हों ; और

(ग) जो नियमित स्थापन में नहीं लाए गए हों, बोर्ड के सभी कर्मचारियों पर लाग होंगे ।

(2) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, बोर्ड के कर्मचारियों के किसी वर्ग को, इन नियमों के सभी या किसी नियम के प्रवर्तन से अपवर्जित कर सकेगी ।

(3) यदि कोई शंका उत्पन्न हो –

(क) कि क्या ये नियेम या इनमें से कोई नियम किसी व्यक्ति को लागू होते हैं, या

(ख) कि क्या कोई व्यक्ति जिसे ये नियम लागू होते हैं, बोर्ड के कर्मचारियों के किसी विशिष्ट वर्ग का है,

तो मामला केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट कर दिया जाएगा और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

4. किसी विधि या करार द्वारा प्रदत्त अधिकारों और विशेषाधिकारों का संरक्षण :–

इन नियमों की कोई बात , बोर्ड के किसी कर्मचारी को———

(क) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन, या

(ख) बोर्ड द्वारा किए गए किसी करार के निबंधनों द्वारा दिए गए अधिकार या विशेषाधिकार से जिसका वह हकदार होगा, वंचित करने के लिए प्रवृत्त नहीं होगी

भाग 2—वर्गीकरण और नियुक्तियां

5. पदों का वर्गीकरण :—

बोर्ड की सेवा के अधीन के सभी पद निम्नरूप से वर्गीकृत किए जाएगें, अर्थात्:—

क्रम सं०	पद का वर्णन	पद का वर्गीकरण
1	2	3
1	वह पद जिसका अधिकतम वेतन या जिसके वेतनमान का अधिकतम 950/, रु० से कम न हो	वर्ग I
2	वह पद जिसका अधिकतम वेतन या जिसके वेतनमान का अधिकतम 950/, रुपए से कम हो किन्तु 575/, रुपए से कम न हो । .	वर्ग II
3	वह पद जिसका अतिकतम वेतन या जिसके वेतनमान का अधिकतम 575/, रुपए से कम हो किन्तु 110/, रुपए से अधिक हो । .	वर्ग III
4	वह पद जिसका अधिकतम वेतन या जिसके वेतनमान का अधिकतम 110/, रुपए या उससे कम हो ।	वर्ग I

पदों के किसी वर्ग में नियुक्तियां अनुसूची में दिए गए अनुसार की जाएंगी ।

भाग 3—निलम्बन

6. निलम्बन:—(1) (क) बोर्ड के कर्मचारी को । उसके खिलाफ आरोपों की जांच लम्बित रहने तक, सेवा से निलम्बित किया जा सकेगा ।

(i) जहां ऐसा निलम्बन बोर्ड के हित में आवश्यक हो, या

(ii) जहां उसके खिलाफ अननुशासनिक कार्यवाही अनुध्यात हो या लम्बित हो, या

(iii) जहां किसी दण्डनीय अपराध के संबंध में उसके खिलाफ कोई मामला अन्वेषणा, जांच या विचारण के अधीन हो।

(ख) नियुक्ति प्राधिकारी या अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई अन्य प्राधिकारी बोर्ड के कर्मचारी को निलम्बित कर सकेगा।

टिप्पण :—कर्मचारी को सिवाय तब के जब वस्तुतः आवश्यक हो, निलम्बित नहीं किया जाएगा, और निलम्बित करने के लिए सशक्त प्राधिकारी या निम्नलिखित बातें मार्गदर्शन करेंगी।

(क) अपचारी के खिलाफ मामला प्रथम दृष्टया मजबूत होना चाहिए।

(ख) यदि अपराध ऐसी गंभीर प्रकृति का हो कि उसका अधिसंभाव्य दण्ड पदयुक्ति होगा या ऐसा हो कि यह सलाह देने योग्य बात नहीं हो कि मामले का विनिश्चय होने तक अपराधी को अपने पद के कर्तव्यों का निष्पादन करते रहने की अनुज्ञा दी जाए, तो निलम्बन न्यायोचित होगा :

(ग) जब तक इस बात का कोई प्रबल कारण न हो कि मामले का विनिश्चय न होने तक अपराधी को काम करते रहने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए, तब तक निलम्बन नहीं किया जाना चाहिए :

(घ) किसी को भी अनुशासन-भंगों या लघु विभागीय अपराधों के लिए निलम्बित नहीं किया जाना चाहिए :

(ङ) कर्मचारी को निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी में निलम्बित किया जा सकता है :—

(i) यदि वह जानबूझकर या हठपूर्वक किसी आदेश का पालन करने से इनकार करता है ; या

(ii) यदि जांच के दौरान उसकी नियुक्ति रखे रहने से ऐसी जांच में रुकावट आती हो या वह निष्फल हो जाती हो : या

(iii) वह पुलिस की अभिरक्षा में हो ; या

(iv) उसके खिलाफ इस प्रकार का अपराध लगाया गया हो कि, यदि वह अपराध उसके खिलाफ सिद्ध हो जाए, तो उसका परिणाम सामान्यतः उसकी पदयुक्ति होगा या :

(v) यदि किसी दाण्डिक अपराध की बाबत उसके खिलाफ कोई मामला अन्वेषण या विचारण के अधीन हो ;

परन्तु जहां निलम्बन का आदेश नियुक्ति प्राधिकारी से नीचे के किसी प्राधिकारी द्वारा या अध्यक्ष से विनिर्दिष्ट प्राधिकार प्राप्त किए बिना किया जाता है वहां ऐसा प्राधिकारी अध्यक्ष को या संबंधित प्राधिकारी को उन परिस्थितियों के बारे में जिनमें यह आदेश दिया गया था तत्काल रिपोर्ट देगा और अपने द्वारा की गई कार्यवाही के अनुमोदन की इहरूा करेगा।

(2) बोर्ड के कर्मचारी को नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश से निम्न तारीखों से निलम्बन के अधीन रखा गया समझा जाएगा —

(क) उसके निरोध की तारीख से, यदि वह किसी दण्डनीय आरोप पर या अन्यथा अड़तालीस घण्टे से अधिक कालावधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया हो ;

(ख) अपनी दोषसिद्धि की तारीख से, यदि किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि होने की दशा में उसको अड़तालीस घण्टे से अधिक अवधि के लिए कारावास की सजा दी गई हो और ऐसी दोषसिद्धि होने के परिणाम स्वरुप तत्काल पदच्युत नहीं किया गया हो या हटाया नहीं गया हो या अनिवार्यतः सेवा निवृत्त नहीं किया गया हो :

स्पष्टीकरण :—खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अड़तालीस घण्टों की कालावधि दोषसिद्धि होने के पश्चात कारावास के प्रारम्भ होने से संगणित की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए कारावास की आन्तरायिक कालावधियां यदि कोई हो, हिसाब में ली जाएंगी।

(3) जहां बोर्ड के किसी निलम्बित कर्मचारी पर सेवा से पदच्युत करने, हटाए जाने या अनिवार्यतः सेवा निवृत्त करने की अधिरोपित शास्ति, इन नियमो के अधीन अपील में या पुनर्विलोकन करने पर अपास्त कर दी गई हो और मामले को और आगे जांच या कार्रवाई के लिए या किन्हीं अन्य निदेशों के साथ प्रेषित कर दिया गया हो तो उसके निलम्बन का आदेश, पदच्युति हटाए जाने या अनिवार्यतः सेवा निवृत्त करने के मूल आदेश की तारीख से बराबर प्रवृत्त समझा जाएगा और आगे के आदेशों तब प्रवृत्त रहेगा :

(4) जहां बोर्ड के किसी निलम्बित कर्मचारी पर सेवा से पदच्युत करने, हटाए जाने या अनिवार्यत, सेवा निवृत्त करने की अधिरोपित शास्ति न्यायालय के विनिश्चय द्वारा या उसके परिणामस्वरुप अपास्त कर दी गई हो या शून्य घोषित कर दी गई हो या हो गई हो और आनुशासनिक अधिकारी ने मामले की परिस्थितियों पर विचार करने पर उस अभिकथन के आधार पर उसके खिलाफ और आगे जांच करने का विनिश्चिय किया हो जिनपर पदच्युत करने हटाए जाने या अनिवायतः सेवा निवृत्त करने की शास्ति मूल रूप से अधिरोपित की गई थी तो बोर्ड के कर्मचारी को पदच्युत करने हटाए जाने या अनिवार्यतया सेवा निवृत्त करने के मूल आदेश की तारीख से निलम्बित किया हुआ समझा जाएगा और आगे के आदेशो तक निलम्बित बना रहेगा :

7. **निलम्बन का आदेश उपांतरित न किए जाने तक जारी रहेगा** —(1) इस नियम के अधीन किया गया या किया समझा गया निलम्बन का आदेश तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक उसको ऐसा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपांतरित या प्रतिसंहृत न कर दिया गया हो, या

(ख) जहां पूर्वोक्त प्राधिकारी की राय में वह राज्य की सुरक्षा के हित के प्रतिकूल क्रियाकलाप में लगा हुआ हो।

(2) जहां बोर्ड का कोई कर्मचारी निलम्बित किया गया हो या निलम्बित किया गया समझा गया हो (चाहे किसी अनुशासिक कार्यवाही के संबंध में या अन्यथा) तो उसे निलम्बित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी लिखित रूप में दिए जाने वाले कारणों के आधार पर यह निदेश दे सकेगा कि बोर्ड का कर्मचारी तब तक निलम्बन में रहेगा जब तक ऐसी सभी कार्यवाहियों या उनमें से कोई पर्यवसित न हो जाएं।

(3) इस नियम के अधीन किया गया या किया समझा गया निलम्बन का आदेश किसी भी समय उस प्राधिकारी द्वारा जिसने आदेश किया था या जिसके द्वारा किया गया समझा गया था या किसी उस प्राधिकारी द्वारा जिसके वह प्राधिकारी अधीनस्थ है उपांतरित या प्रतिसंहृत किया जा सकेगा :

टिप्पण :—निर्वाह भत्ते की मंजूरी मूल नियमों और अनुपूरक नियमों के उपबन्धों द्वारा शामिल होगी :

भाग 4—शास्तियां और अनुशासन-प्राधिकारी

8. **शास्तियां** :—निम्नलिखित शास्तियां उचित और पर्याप्त कारणों पर और जैसा कि इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित है, बोर्ड के किसी कर्मचारी पर अधिरोपित की जा सकेंगी अर्थात् :—

लघु शास्तियां

(i) परिनिंदा

(ii) उसकी प्रोन्नति को रोक रखना

(iii) उपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन से उसके द्वारा बोर्ड को कारित धन कि किसी हानि की उसके वेतन से पूर्णतः या भागत वसूली :

(iv) वेतन वृद्धियो को रोक रखना :

बड़ी शास्तियां —

(v) विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए काल-वेतन-मान के निचले प्रक्रम में अवनति इन और निदेशों सहित कि क्या बोर्ड का कर्मचारी ऐसी अवनिति की कालावधि के दौरान वेतन-वृद्धि अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी कालावधि के अवसान पर अवनति से उसकी भविष्य की वेतन-वृद्धियां स्थगत हो जाएंगी अथवा नहीं ।

(vi) निम्नतर काल—वेतन-मान ग्रेड या पद पर अवनति जिससे बोर्ड के कर्मचारी की उस काल—वेतन-मान ग्रेड या पद पर जिससे वह अवनत किया गया था प्रोन्नति सामान्यतया वर्जित होगी, शर्तों या उस ग्रेड या पद पर वहाली की शर्तों के बारे में और आगे निदेशों सहित या के बिना ;

(vii) अनिवार्य सेवानिवृत्ति :

(viii) सेवा से हटाया जाना जो भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगा ;

(ix) सेवा से पदच्युत जो भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी :

स्पष्टीकरण —इस नियम के अन्तर्गत निम्नलिखित शास्ति की कोटि में नहीं आएंगे ति् —

(i) बोर्ड के कार्मचारी द्वारा धारित पद या उसकी नियुक्ति के निबन्धनों को शासित करने वाले नियमों या आदेशों के अनुसार कोई विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में उसके असफल रहने पर उसकी वेतन-वृद्धि रोक देना :

(ii) बोर्ड के किसी कमचारी के दक्षतारोध को पार न कर सकने की उसकी अयोग्यता के कारण कालवेतन-मान में दक्षता रोध पर रोक देना :

(iii) अधिष्ठाती या स्थानापन्न हैसियत में बोर्ड के किसी सदस्य की उसके मामले पर विचार करने के पश्चात उस ग्रेड या प्रोन्नति के पद पर प्रोन्नति न करना जिसके लिए वह पात्र है :

(iv) किसी उच्चतर ग्रेड या पद पर स्थानापन्न से काम करने वाले बोर्ड के कर्मचारी की इस कारण से निम्नतर ग्रेड या पद पर पदावनति कर देना कि वह ऐसे उच्चतर ग्रेड या पद के लिए किसी प्रशासनिक कारण से जो उसके आचरण से असम्बद्ध हो उपर्युक्त नहीं समझा गया है :

(v) बोर्ड के कर्मचारी की, जो किसी अन्य ग्रेड या पद पर परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया हो, उसके अपने स्थायी ग्रेड या पद पर परिवीक्षा की कालावधि के दौरान या की समाप्ति पर, उसकी नियुक्ति के निबन्धनों या ऐसी परिवीक्षा को शासित करने वाले नियमों या आदेशों के अनुसार पदावनति ।

(vi) बोर्ड के उस सदस्य की सेवाओं का जिसकी सेवाएं केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी से उधार ली गई है, उस सरकार या प्राधिकारी के निवर्तन पर प्रतिस्थापन करना जिसने उसकी सेवाएं उधार दीं थी ।

(vii) बोर्ड के कर्मचारी की उसकी अधिवर्षिता या सेवा निवृत्ति संबंधी उपबन्धों के अनुसार अनिवार्य सेवा निवृत्ति ।

(viii) (क) परिवीक्षाधीन नियुक्त, बोर्ड के किसी कर्मचारी की उसकी परिवीक्षा की कालावधि के दौरान या अन्त में उसकी नियुक्ति के निबन्धनों या ऐसी परिवीक्षा को शासित करने वाले नियमों और आदेशों के अनुसार

(ख) बोर्ड के किसी करार के अधीन नियुक्त कर्मचारी की ऐसे करार के निबन्धनों के अनुसार

सेवाओं का पर्यवसान ।

9. **अनुशासन--प्राधिकारी** :—(1) केन्द्रीय सरकार बोर्ड के किसी कर्मचारी पर नियम 8 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई अधिरोपित कर सकती है ।

(2) उपनियम (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नियम 8 में वर्णित शास्तियां अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों द्वारा बोर्ड के कर्मचारी पर अधिरोपित की जा सकती है ।

10. **आनुशासनिक कार्यवाहियों का संस्थित किया जाना**:—केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा साधारण या विशेष आदेश से सशक्त कोई अन्य प्राधिकारी—

(क) बोर्ड के किसी कर्मचारी के विरुद्ध आनुशासनिक कार्यवाही संस्थित कर सकता है ;

(ख) किसी अनुशासन-प्राधिकारी को निदेश दे सकता है कि वह बोर्ड के किसी ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध आनुशासनिक कार्यवाही करे जिस पर वह नियम 8 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई अधिरोपित करने में सक्षम हो ।

(2) कोई अनुशासन-प्राधिकारी, जो इन नियमों के अधीन नियम 8 के खण्ड (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई अधिरोपित करने में सक्षम हो, बोर्ड के किसी कर्मचारी के विरुद्ध, नियम 8 के खण्ड (v) से (ix) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई अधिरोपित करने के लिए इस बात के होते हुए भी कि ऐसा अनुशासन-प्राधिकारी इन नियमों में अधीन पश्चात्वर्ती शास्तियों में से कोई अधिरोपित करने में सक्षम नहीं है, आनुशासनिक कार्यवाही संस्थित कर सकता है ।

भाग 5—**शास्तियां अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया**

11. **बड़ी शास्तियां अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया**:—(1) बोर्ड के कर्मचारी पर नियम 8 के खण्ड (v) से (ix) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई भी अधिरोपित करने वाला कोई भी आदेश यथाशक्य इसमें इसके पश्चात उपबन्धित रीति में की गई जांच के पश्चात् के सिवाय, पारित नहीं किया जाएगा ।

(2) अनुशासन प्राधिकारी उन अभिकथनों के आधार पर निश्चित आरोपों की विरचना करेगा जिनके आधार पर जांच करने की प्रस्थापना है। ऐसे आरोप उन अभिकथनों के विवरण के साथ जिन पर वे आधारित हैं बोर्ड के कर्मचारी को लिखित रूप में संसूचित किए जायेंगे और उससे अपनी प्रतिरक्षा में लिखित कथन, यह भी बताते हुए कि क्या वह व्यक्तिगत रूप से सुनवाई चाहता है ऐसे समय के भीतर (क) ऐसे प्राधिकारी को : या (ख) जहां उपनियम (3) के अधीन कोई जांच बोर्ड या जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है वहां उस बोर्ड या अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षा की जायगी जैसा अनुशासन प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो।

स्पष्टीकरण:—इस उपनियम में और उपनियम (3) में, "अनुशासन प्राधिकारी" पद में वह प्राधिकारी भी सम्मिलित होगा जो इन नियमों के अधीन बोर्ड के कर्मचारी पर नियम 8 के खण्ड (i) से iv) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम है।

(3) अनुशासन प्राधिकारी आरोपों की जांच स्वयं कर सकता है या यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो वह या तो बोर्ड के कर्मचारी को आरोप संसूचित करते समय या उसके पश्चात् किसी भी समय इस प्रयोजन के लिए जांच बोर्ड या जांच अधिकारी नियुक्त कर सकता है।

(4) बोर्ड के कर्मचारी की अपनी प्रतिरक्षा तैयार करने के प्रयोजन के लिए ऐसे शासकीय अभिलेखों का निरीक्षण करने और उद्धारण लेने के लिए अनुज्ञा दी जाएगी जैसे वह विनिर्दिष्ट करे, परन्तु ऐसी अनुज्ञा से इन्कार किया जा सकेगा यदि कुछ कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित करना होगा। अनुशासन प्राधिकारी की यह राय है कि इस प्रयोजन के लिए ऐसे अभिलेख संसुगत नहीं हैं या उसके दिखाने के लिए उसको अनुज्ञात करना लोकहित में नहीं है।

(5) प्रतिरक्षा का लिखित-कथन प्राप्त होने पर या यदि विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसा कोई कथन प्राप्त नही होता है तो यथास्थिति प्राधिकारी या जांच बोर्ड या जांच अधिकारी ऐसे आरोपों की जांच कर सकेगा जो स्वीकार नहीं किए गए हैं।

(6) प्राधिकारी आरोपों की जांच करने वाले प्राधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् जांच प्राधिकारी निर्दिष्ट किया गया है) के समक्ष आरोपों के समर्थन में मामले को पेश करने के लिए किसी व्यक्ति को नाम-निर्देशित कर सकेगा। बोर्ड का कर्मचारी अनुशासन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित बोर्ड के किसी अन्य कर्मचारी के सहयोग से मामले को पेश कर सकता है किन्तु इस प्रयोजन के लिए तब तक किसी विधि व्यवसायी को नियुक्त नहीं कर सकता जब तक कि अनुशासन प्राधिकारी द्वारा पूर्वोक्त रूप में नामनिर्देशित व्यक्ति विधि व्यवसायी न हो या जब तक कि प्राधिकारी, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसी अनुज्ञा न दें।

(7) जांच की दशा में जांच प्राधिकारी, ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करेगा जो आरोपों के सम्बन्ध में सुसंगत और तात्विक हों, बोर्ड के कर्मचारी को आरोपों के समर्थन में परीक्षित साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने का, और व्यक्तिगत रुप से साक्ष्य देने का हक होगा। आरोप के समर्थन में मामले को पेश करने वाले व्यक्ति को बोर्ड के कर्मचारी और उसकी प्रतिरक्षा में परीक्षित साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने का हक होगा। यदि जांच प्राधिकारी किसी साक्षी की इस कारण परीक्षा करने से इन्कार करता है कि उसका साक्ष्य सुसंगत या तात्विक नहीं है तो वह उसके कारण लिखित रूप में अभिलिखित करेगा।

(8) जांच के अन्त में, जांच प्राधिकारी प्रत्येक आरोप के अपने निष्कर्षों को उनके कारणों के साथ, अभिलिखित करते हुए जांच की एक रिपोर्ट तैयार करेगा । यदि, ऐसे प्राधिकारी की राय में जांच की कार्यवाही से उन आरोपों से भिन्न आरोप स्थापित होते हैं जो मूलतः विरचित किए गये थे तो वह ऐसे आरोपों पर अपना निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा परन्तु ऐसे आरोपों पर तब तक निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया जायेगा जब तक कि बोर्ड के कर्मचारी ने उक्त आरोपों को गठित करने वाले तथ्यों को स्वीकार न कर लिया हो या उनके खिलाफ स्वयं की प्रतिरक्षा करने का उसे अवसर न मिल गया हो ।

(9) जांच के अभिलेख में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे --

(i) बोर्ड के कर्मचारी के खिलाफ विरचित आरोप और उपनियम (2) के अधीन उसे दिया गया अभिकथनों का विवरण ;

(ii) उसका प्रतिरक्षा का लिखित कथन, यदि कोई हो तो;

(iii) जांच के दौरान लिया गया मौखिक साक्ष्य ;

(iv) दस्तावेजी साक्ष्य जिस पर जांच के दौरान विचार किया गया हो ;

(v) अनुशासन प्राधिकारी और जांच प्राधिकारी द्वारा जांच के बारे में किये गये आदेश, यदि कोई हों ; और

(vi) प्रत्येक आरोप पर निष्कर्ष और उनके कारणों को उपवर्णित करने वाली रिपोर्ट ।

(10) अनुशासन प्राधिकारी, यदि वह जांच प्राधिकारी नहीं है, जांच के अभिलेख पर विचार करेगा और प्रत्येक आरोप पर अपना निष्कर्ष अभिलिखित करेगा ।

(11) (i) यदि आरोपों पर अपने निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए अनुशासन प्राधिकारी का यह विचार है कि नियम 8 के खण्ड (v) से (ix) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित की जाये तो वह

(क) बोर्ड के कर्मचारी को जांच प्राधिकारी रिपोर्ट की एक प्रति, और जहां अनुशासन प्राधिकारी जांच प्राधिकारी न हो, वहां जांच प्राधिकारी के निष्कर्षों के साथ में अपने निष्कर्षों का विवरण, असहमति के संक्षिप्त कारणों के साथ, यदि कोई हो, देगा; और

(ख) बोर्ड के कर्मचारी को उस पर अधिरोपित की जाने के लिए प्रस्थापित शास्ति को बताते हुए और विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए जैसा वह प्रस्थापित शास्ति के खिलाफ करना चाहता हो, उससे मांग करते हुए एक सूचना देगा; और

परन्तु ऐसा अभ्यावेदन जांच के दौरान पेश किये गये साक्ष्य पर ही आधारित होगा ।

(ii) अनुशासन प्राधिकारी खण्ड (i) के अधीन दी गई सूचना के उत्तर में बोर्ड के कर्मचारी द्वारा किये गये अभ्यावेदन पर यदि कोई हो, विचार करेगा और यह अवधारित करेगा कि बोर्ड के सदस्य पर कौन सी शास्ति, यदि कोई हो, अधिरोपित की जाये, और मामले में समुचित आदेश पारित करेगा ।

(12) यदि अनुशासन-प्राधिकारी की, अपने निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, यह राय है कि नियम 8 के खण्ड (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई अधिरोपित की जानी चाहिए तो वह मामले में समुचित आदेश पारित करेगा ।

(13) अनुशासन-प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों को बोर्ड के कर्मचारी को संसूचित कर दिया जायेगा और उसे जांच प्राधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति भी दी जायेगी और जहां अनुशासन प्राधिकारी जांच प्राधिकारी नहीं है वहां जांच प्राधिकारी के निष्कर्षों के साथ मे अपने निष्कर्षों का विवरण असहमति, यदि कोई हो, के संक्षिप्त कारणों के साथ उस कर्मचारी को दिया जायेगा सिवाय तब के जब कि वे उसे पहले ही न दिए गए हों ।

12. **अभ्यावेदन देने का अवसर** :—

(1) नियम 8 के खण्ड (i) से (iv) तक में विनिर्दिष्ट कोई भी शास्ति अधिरोपित करने का आदेश निम्नलिखित के पश्चात् के सिवाय पारित नहीं किया जायेगा —

(क) बोर्ड के कर्मचारी को, उसके खिलाफ कारवाई की प्रस्थापना की और उन अभिकथनों की जिनके आधार पर उसके करने की प्रस्थापना है, लिखित सूचना देने के और उसे अभ्यावेदन, यदि वह देना चाहे, देने का अवसर देने के ; और

(ख) ऐसे अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर अनुशासन प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिए जाने के ।

(2) ऐसे मामलों में कार्यवाहियों के अभिलेख में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :—

(i) बोर्ड के कर्मचारी को, उसके विरुद्ध कार्यवाई करने की प्रस्थापना की प्रज्ञापना की एक प्रति :—

(ii) उसको में संसूचित अभिकथनों के कथन की एक प्रति ;

(iii) उसका अभ्यावेदन, यदि कोई हो; और

(iv) मामले पर आदेश, उसके लिए कारणों सहित ।

13. **दो या अधिक कर्मचारियों की बाबत सामान्य कार्यवाही**—

(1) जहां किसी मामले से बोर्ड के दो या अधिक कर्मचारी सम्बन्धित हैं वहां केन्द्रीय सरकार या बोर्ड के ऐसे सभी कर्मचारियों पर सेवा से पद-च्युति की शास्ति अधिरोपित करने वाला सक्षम प्राधिकारी यह निदेश देते हुए आदेश दे सकता है कि उन सब के विरुद्ध एक सामान्य कार्यवाही में अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है ।

(2) (क) उप-नियम (1) के खण्ड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी मामले में बोर्ड के कर्मचारी द्वारा उस उप-नियम के खण्ड (क) के अधीन दिए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्, यह प्रस्थापित किया जाता है कि वेतन-वृद्धियां रोक दी जाएं और वृद्धियों को इस प्रकार रोकने से बोर्ड के कर्मचारी को संदेय पेंशन की रकम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है या तीन वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए वेतन-वृद्धियों को रोकना, या किसी कालावधि के लिए आंकलित प्रभाव से वेतन वृद्धियों को रोकना, प्रस्थापित किया जाता है तो बोर्ड के कर्मचारी पर ऐसी किसी शास्ति को अधिरोपित करने के लिए आदेश देने से पूर्व नियम 11 के उप-नियम (3) से (12) तक में अधिकथित मामले में जांच की जाएगी ।

(3) ऐसे किसी आदेश में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होंगे :—

(i) वह प्राधिकारी जो ऐसी सामान्य कार्यवाही के लिए अनुशासन प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकता है :

(ii) नियम 8 में विनिर्दिष्ट शास्तियां जिन्हे ऐसा अनुशासन प्राधिकारी अधिरोपित करने के लिए सक्षम होगा; और

(iii) क्या कार्यवाही में नियम 11 या नियम 12 में विहित प्रक्रिया का अनुपालन किया जा सकता है ।

14. **कतिपय मामलों में विशेष प्रक्रिया** :—

नियम 11, 12 और 13 में किसी बात के होते हुए भी—

(क) जहां बोर्ड के कर्मचारी पर ऐसे आचरण के आधार पर जिससे वह आपराधिक आरोप पर दोषसिद्ध हो चुका है, कोई शास्ति अधिरोपित की गई है, या

(ख) जहां अनुशासन-प्राधिकारी का, लेखबद्ध किए गए कारणों से, यह समाधान हो जाता है कि उक्त नियमों में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करना युक्तियुक्त तौर पर साध्य नहीं है; या

(ग) जहां केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि प्रक्रिया का अनुपालन करना बोर्ड के हित में समीचीन नहीं है वहां अनुशासन प्रधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार कर सकता है और उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे ।

15. **सेवार्थ उधार लिये गये अधिकारियों के सम्बन्ध में उपबन्ध** :—

(1) जहां बोर्ड के ऐसे कर्मचारी के खिलाफ जिसकी सेवाएं केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, स्थानीय या अन्य प्राधिकरण से उधार ली गई है, निलम्बन का आदेश पारित किया गया है या अनुशासनिक कार्यवाही की गई है वहां उसकी सेवाएं उधार देने वाले प्राधिकारी (जिसे इस नियम में इसके पश्चात् "सेवाएं उधार देने वाला प्राधिकारी" कहा गया है) को तुरन्त, यथास्थिति, उसके निलम्बन के आदेश या आनुशासनिक कार्यवाही के प्रारम्भ करने वाली परिस्थितियां सूचित कर दी जाएंगी ।

(2) बोर्ड के कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए—

(i) यदि अनुशासन प्राधिकारी की यह राय है कि उस पर नियम 8 के खण्ड (I) से (IV) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई एक अधिरोपित की जानी चाहिए तो वह सेवा उधार देने वाले प्राधिकारी से परामर्श करने के पश्चात् मामले पर ऐसे आदेश पारित कर सकता है जैसे वह आवश्यक समझे;

परन्तु अनुशासन प्राधिकारी और सेवाएं उधार देने वाले प्राधिकारी में मतभेद होने की दशा में, बोर्ड के कर्मचारी की सेवाएं, सेवाएं उधार देने वाले प्राधिकारी के निवर्तन पर प्रतिस्थापित कर दी जाएंगी ।

(ii) यदि अनुशासन प्राधिकारी की यह राय है कि उस पर नियम 8 के खण्ड (V) से (IX) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई एक अधिरोपित की जानी चाहिए तो बोर्ड के कर्मचारी की सेवाएं, सेवाएं उधार देने वाले प्राधिकारी के निवर्तन पर प्रतिस्थापित कर दी जाएंगी और जांच की कार्यवाहियां उसको ऐसी कार्यवाई के लिए साप्रेषित कर दी जाएंगी जैसी वह आवश्यक समझे ।

भाग I—अपील

16. वे आदेश जिनके विरुद्ध अपील नहीं हो सकती :—

इस भाग में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी कोई अपील—

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए किसी आदेश;

(ii) अन्वर्ती प्रकृति के या सहायतार्थ उठाये गए कदम की प्रकृति के किसी आदेश या निलम्बन के आदेश से भिन्न किसी अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तिम निपटारे ;

(iii) नियम 11 के अधीन किसी जांच के दौरान जांच प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए किसी आदेश;

के विरुद्ध नहीं हो सकेंगी :

17. वे आदेश जिनके विरुद्ध अपील हो सकती है:—

नियम 16 के उपबन्धों के अध्यधीन, बोर्ड का कोई कर्मचारी निम्नलिखित में से सभी के या किसी के विरुद्ध अपील कर सकेगा, अर्थात् :—

(i) नियम 7 के अधीन दिया गया या दिया हुआ समझा गया निलम्बन का कोई आदेश;

(ii) नियम 8 में विनिर्दिष्ट किसी शास्ति को अधिरोपित करने वाला कोई आदेश चाहे वह अनुशासन प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो या किसी अपील या पुनर्विलोकन प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो;

(iii) नियम 8 के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति को वर्धित करने वाला कोई आदेश;

(iv) कोई आदेश जो :—

(क) उसके अहित में उसके वेतन, भत्ते, पेंशन या नियमों या करार द्वारा यथा विनियमित सेवा की अन्य शर्तों का प्रत्याख्यान या फेरफार करता हो, या

(ख) उसके अहित में किसी ऐसे नियम या करार के उपबन्धों का निर्वचन करता हो ;

(v) कोई आदेश :—

(क) जो उसको दक्षता रोध पार करने में उसकी अयोग्यता के आधार पर वेतनमान में दक्षता रोध होने पर रोकता हो;

(ख) जो उसको, जब वह उच्चतर श्रेणी या पद में स्थानापन्न के रूप में कार्य कर रहा हो, तब निम्नतर श्रेणी या पद पर, शक्ति के रूप में अन्यथा प्रतिवर्तित करता हो;

(ग) जो उसकी पेन्सन को घटाता या रोकता या नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय अधिकतम पेन्शन का प्रत्याख्यान करता हो;

(घ) जो, निलम्बन की कालावधि के लिए या उस कालावधि के लिए जिसमें उसे निलम्बनाधीन समझा गया हो या उसके किसी प्रभाग के लिए उसको संदत्त किए जाने वाले जीवन-निर्वाह तथा अन्य भत्तों को अवधारित करता हो;

(ङ) जो, उसका वेतन और भत्ते—

(i) निलम्बन की कालावधि के लिए ; या

(ii) उसकी पद-च्युति, हटाये जाने या सेवा से अनिवार्य निवृत्ति की तारीख से या उसकी, निम्नतर श्रेणी, पद, काल-वेतन-मान या काल-वेतन-मान क्रम पर अवनति की तारीख से, उसके पुनःपदस्थापन या अपनी श्रेणी या पद पर प्रत्यावर्तन की तारीख तक की कालावधि के लिए अवधारित करता हो।

(च) जो यह अवधारित करता हो कि उसके निलम्बन की तारीख से या उसकी पद-च्युति, हटाये जाने, अनिवार्य सेवा-निवृत्ति या निम्नतर श्रेणी, पद, काल-वेतन-मान क्रम पर अवनति की तारीख से उसके उस श्रेणी या पद पर पुनः स्थापन या प्रत्यावर्तन की तारीख तक की कालावधि को, किसी प्रयोजन के लिए कर्त्तव्य पर व्यतीत की गई कालावधि के रूप में माना जाएगा या नहीं।

स्पष्टीकरण :—इस नियम में :—

(i) "बोर्ड का कर्मचारी" पद में वह व्यक्ति भी सम्मिलित है जो बोर्ड की सेवा से परिविरत हो गया है।

(ii) "पेन्शन" पद में अतिरिक्त पेन्शन, उप-दान और कोई अन्य निवृत्ति प्रसुविधा भी सम्मिलित है।

18. **अपील प्राधिकारी** :—

(1) बोर्ड का कोई कर्मचारी, जिसमें वह व्यक्ति भी सम्मिलित है जो बोर्ड की सेवा से परिविरत हो गया है, नियम 17 में विनिर्दिष्ट सभी आदेशों या किसी आदेश के विरुद्ध अनुसूची में इस निमित्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को अपील कर सकेगा ।

(2) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी :—

(i) नियम 16 के अधीन की गई सामान्य कार्यवाही में दिये गये आदेश के विरुद्ध अपील उस प्राधिकारी को की जाएगी जिससे, उस कार्यवाही के प्रयोजनार्थ अनुशासन-प्राधिकारी के रूप में कृत्य करने वाला प्राधिकारी अव्यवहित अधीनस्थ हो;

(ii) जहां वह व्यक्ति, जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, अपनी पश्चात्वर्ती नियुक्ति के फलस्वरूप, या अन्यथा, ऐसे आदेश की बाबत अपील-प्राधिकारी बन जाता है तो ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील उस प्राधिकारी को की जाएगी जिससे ऐसा व्यक्ति अव्यवहित अधीनस्थ हो।

19. **अपीलों का परिसीमाकाल** :—

इस भाग के अधीन कोई भी अपील ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसी अपील उस तारीख से, जिसको अपीलार्थी को उस आदेश की प्रति परिदत्त की गई हो, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पैंतालिस दिन की कालावधि के भीतर न की गई हो :

परन्तु अपील प्राधिकारी, यदि उसका यह समाधान हो जाए कि अपीलार्थी के पास समय के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था, उक्त कालावधि के अवसान के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा।

20. **अपील की विषयवस्तु का प्ररूप** :—

(1) अपील करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, ऐसा अलग अलग और अपने नाम में करेगा ।

(2) अपील उस प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी जिसे अपील की जानी है, एक प्रति अपीलार्थी द्वारा उस प्राधिकारी को प्रेषित की जाएगी जिसने वह आदेश

दिया था जिसके विरुद्ध अपील की गई है। उसमें वे सभी तात्विक कथन और तर्क होंगे जिनको अपीलार्थी ने आधार बनाया है, उसमें अपमान जनक या अनुचित भाषा नहीं होगी और वह अपने आप में पूर्ण होगी।

(3) वह प्राधिकारी जिसने वह आदेश दिया है, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, अपील की एक प्रति प्राप्त होने पर, उस पर अपनी टिप्पणियां दे कर सुसंगत अभिलेखों के साथ बिना किसी परिहार्य विलम्ब के और अपील प्राधिकारी के किसी निदेश की प्रतीक्षा किए बिना अपील प्राधिकारी को प्रेषित कर देगा।

21. **अपील पर विचार** :—

(1) निलम्बन के किसी आदेश के विरुद्ध अपील की स्थिति में अपील प्राधिकारी विचार करेगा कि क्या नियम 6 से 10 तक के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निलम्बन का आदेश न्यायोचित है या नहीं और तद्नुसार आदेश की पुष्टि या प्रतिसंहरण करेगा।

(2) नियम 8 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से किसी को अधिरोपित करने वाले या उक्त नियम के अधीन किसी शास्ति में वृद्धि करने वाले आदेश की स्थिति में, अपील प्राधिकारी यह विचार करेगा कि :—

(क) क्या नियमों में अधिकथित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है और यदि नहीं तो क्या ऐसे अनुपालन के परिणामस्वरूप भारत के संविधान के किन्हीं उपबन्धों का अतिक्रमण हुआ है या न्याय को विफलता हुई है;

(ख) क्या अनुशासन-प्राधिकारी के निष्कर्ष अभिलेख में के साक्ष्य द्वारा समर्थित है; और

(ग) क्या अधिरोपित शास्ति या वर्धित शास्ति पर्याप्त, अपर्याप्त या कठोर है; और

(i) शास्ति की पुष्टि करने या उसमें वृद्धि करने, उसे कम करने या उसे अपास्त करने,

(ii) मामले को उस प्राधिकारी के पास, जिसने शास्ति अधिरोपित की है या उसमें वृद्धि की है, या ऐसे निदेश के साथ जैसा वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे किसी अन्य प्राधिकारी को भेजने

का आदेश पारित करेगा:

परन्तु :—

(i) यदि वर्धित शास्ति जिसे अपील प्राधिकारी अधिरोपित करने की प्रस्थापना करता है, नियम 8 के खण्ड (V) से (IX) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई एक है और मामले में नियम 11 के अधीन जांच पहले ही नहीं कर ली गई है तो अपील प्राधिकारी नियम 14 के उपबन्धों के अध्यधीन स्वयं ऐसी जांच करेगा या निदेश देगा कि नियम 11 के उपबन्धों के अनुसार ऐसी जांच की जाए और तत्पश्चात् ऐसी जांच की कार्यवाही पर विचार करने पर और अपीलार्थी को यथाशक्य नियम 11 के अनुसार, ऐसी जांच के दौरान पेश किये गये साक्ष्य के आधार पर, प्रस्थापित

शास्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश दे सकेगा जैसा कि वह ठीक समझे ;

(ii) यदि वर्धित शास्ति जिसे अपील प्राधिकारी अधिरोपित करने की प्रस्थापना करता है, नियम 8 के खण्ड (v) से (IX) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई एक है और उस मामले में नियम 14 के अधीन जांच पहले ही करली गई है तो अपील प्राधिकारी अपीलार्थी को यथाशक्य नियम 11 के अनुसार, ऐसी जांच के दौरान पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर, प्रस्थापित शास्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश दे सकेगा जैसा वह ठीक समझे; और

(iii) किसी अन्य दशा में वर्धित शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई भी आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि अपीलार्थी को ऐसी वर्धित शास्ति के विरुद्ध यथाशक्य नियम 12 के उपबन्धों के अनुसार ऐसी प्रस्थापित शास्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाए ।

(3) नियम 17 में विनिर्दिष्ट किसी अन्य आदेश के विरुद्ध अपील में अपील प्राधिकारी मामले की सभी परिस्थितियों पर विचार करेगा और ऐसा आदेश देगा जैसा वह न्यायसंगत और साध्यापूर्ण समझे ।

22. अपील में के आदेशों का कार्यान्वयन :—

वह प्राधिकारी जिसने वह आदेश दिया है जिसके विरुद्ध अपील की गई है, अपील प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेश को कार्यान्वित करेगा ।

23. अपीलों को रोकना :—

(1) वह प्राधिकारी जिसने वह आदेश दिया है जिसके विरुद्ध अपील की गई है, अपील को रोक सकेगा यदि :—

(i) वह अपील किसी ऐसे आदेश के विरुद्ध हो जिसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती; या

(ii) इसमें नियम 20 के उपनियम (2) के उपबन्धों में से किसी उपबन्ध का अनुपालन न किया गया हो; या

(iii) वह नियम 18 में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्रस्तुत न की गई हो और विलम्ब के लिए कोई कारण दर्शित किया न गया हो; या

(iv) वह पहले से विनिश्चित अपील की पुनरावृत्ति हो और उसमें कोई नए तथ्य या परिस्थितियां पेश न की गई हों ;

परन्तु वह अपील जो केवल इसी कारण से रोकी गई हो कि उसमें नियम 20 के उपनियम (2) के उपबन्धों का अनुपालन नहीं किया गया है, अपीलार्थी को लौटा दी जाएगी और यदि वह उक्त उपबन्धों का अनुपालन करने के पश्चात् एक मास के भीतर पुनः प्रस्तुत की जाए तो उसे रोका नहीं जाएगा ।

(2) किसी अपील के रोके जाने पर उसके तथ्य और कारणों के बारे में अपीलार्थी को सूचित किया जाएगा ।

(3) प्रत्येक त्रिमास के प्रारंभ में, पूर्ववर्ती त्रिमास के दौरान प्राधिकारी द्वारा रोकी गई अपीलों की सूची, उनके रोके जाने के कारणों सहित, उस प्राधिकारी द्वारा अपील प्राधिकारी को भेजी जाएगी।

भाग 7 पुनर्विलोकन

24. **पुनर्विलोकन** :

(1) नियमों में किसी बात के रहते हुए भी, केन्द्रीय सरकार किसी भी समय स्वप्रेरणा से या अन्यथा, किसी जांच के अभिलेखों को मंगा सकेगी और इन नियमों के अधीन दिये गये किसी आदेश को पुनर्विलोकित कर सकेगी और:—

(क) आदेश की पुष्टि कर सकेगी, उसे उपान्तरित या अपास्त कर सकेगी; या

(ख) आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति की पुष्टि कर सकेगी, उसमें कमी कर सकेगी, वृद्धि कर सकेगी या उसे अपास्त कर सकेगी या जहां कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की गई है, कोई शास्ति अधिरोपित कर सकेगी; या

(ग) मामले को उस प्राधिकारी के पास, जिसने आदेश दिया था या किसी अन्य प्राधिकारी के पास यह निदेश देते हुए विप्रेषित कर सकेगी कि वह और आगे ऐसी जांच करे जो वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे; या

(घ) ऐसा अन्य आदेश पारित कर सकेगी जैसा वह ठीक समझे।

परन्तु किसी पुनर्विलोकन प्राधिकारी द्वारा किसी भी शास्ति को अधिरोपित या वर्धित करने वाला कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि बोर्ड के सम्बन्धित कर्मचारी को प्रस्थापित शास्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाए और जहां नियम 8 के खण्ड (v) से (ix) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से किसी को अधिरोपित करने की प्रस्थापना हो या पुनर्विलोकित किए जाने के लिए इप्सित आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति में वृद्धि करके उन खण्डों में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से किसी को अधिरोपित करने की प्रस्थापना हो, वहां ऐसी कोई शास्ति नियम 11 में अधिकथित रीति से जांच करने के पश्चात् के, और बोर्ड के संबंधित कर्मचारी को ऐसी जांच के दौरान पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर प्रस्थापित शास्ति के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् के, सिवाय अधिरोपित नहीं की जाएगी।

(2) अध्यक्ष, स्वप्रेरणा से या अन्यथा, किसी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा की गई किसी अनुशासनिक कार्यवाही के मामले के अभिलेखों को मंगा सकता है, ऐसे मामले में पारित किसी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है और ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह ठीक समझे, मानों बोर्ड के कर्मचारी ने ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील की हो:

परन्तु इस उपनियम के अधीन कोई कार्यवाही पुनर्विलोकित किए जाने वाले आदेश की तारीख के पश्चात् छः मास से अधिक में प्रारंभ नहीं की जाएगी।

(3) पुनर्विलोकन के लिए आवेदन पर उसी प्रकार कार्यवाही की जाए जैसे कि वह इन नियमों के अधीन अपील हो।

भाग 8—प्रकीर्ण

25. आदेशों की तामील :

इन नियमों के अधीन दिए गए या जारी किए गए प्रत्येक आदेश, सूचना और अन्य आदेशिका की तामील बोर्ड के संबन्धित कर्मचारी पर व्यक्तिगत रूप से की जाएगी या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा उसे सूचित की जाएगी।

26. काल-सीमा को शिथिल करने की शक्ति :

इन नियमों में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, इन नियमों के अधीन कोई आदेश देने के लिए सक्षम प्राधिकारी अच्छे और पर्याप्त कारणों से या यदि पर्याप्त हेतुक दर्शित किए जाए, इन नियमों में विनिर्दिष्ट समय को बढ़ा सकेगा या किसी विलम्ब को माफ कर सकेगा ।

27. व्यावृत्ति :

(1) इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय लम्बित कार्यवाहियों को चालू रखा जाएगा और उनका यथाशक्य इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार निपटान किया जाएगा।

(2) इन नियमों में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको ये नियम लागू हैं, अपील के किसी ऐसे अधिकार से वंचित करती है जो उसे इन नियमों, के प्रारम्भ होने से पूर्व प्रवृत्त नियमों, अधिसूचनाओं या आदेशों के अधीन प्रेदभूत हुआ था।

(3) इन नियमों के प्रारम्भ होने से पूर्व किसी आदेश के विरुद्ध ऐसे प्रारम्भ के समय लंबिल किसी अपील पर इन नियमों के अनुसार विचार किया जाएगा और आदेश दिया जाएगा मानों ऐसा आदेश इन नियमों के अधीन दिया गया हो और अपील इन नियमों के अधीन की गई हो।

(4) इन नियमों के प्रारम्भ में, ऐसे प्रारम्भ से पूर्व दिये गए किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील या पुनर्विलोकन के लिए आवेदन इन नियमों के अधीन इस प्रकार किया जाएगा मानों ऐसा आदेश इन नियमों के अधीन दिया गया हो :

परन्तु इन नियमों में की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह इन नियमों के प्रारम्भ से पूर्व प्रवृत्त किसी नियम में उपबन्धित किसी अपील या पुनर्विलोकन के लिए परिसीमा-काल को कम करती है।

28. शंकाओं का निराकरण :

यदि इन नियमों के उपबन्धों में से किसी के निर्वचन के बारे में कोई शंका उत्पन्न हो तो मामले को केन्द्रीय सरकार के पास विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा।

अनुसूची

क्रम संख्या	पद का वर्णन	नियुक्ति प्राधिकारी	शक्तियां अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी।	शास्ति की प्रकृति जिसे स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिरोपित कर सकता है।	अपील प्राधिकारी	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7
वर्ग 1 पद						
1	इलायची विकास निदेशक	केन्द्रीय सरकार	केन्द्रीय सरकार	सभी	केन्द्रीय सरकार	टिप्पण : परिनिन्दा की शास्ति अध्यक्ष द्वारा अधिरोपित की जा सकती है और मामले की रिपोर्ट मंत्रालय को की जा सकती है।
2	सचिव	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	
3	सहायक निदेशक (तकनीकी)	कार्यपालिका समिति	कार्यपालिका समिति	सभी	यथोक्त	परिनिन्दा की शास्ति अध्यक्ष द्वारा अधिरोपित की जा सकती है और मामले की रिपोर्ट कार्यपालिका समिति को की जाए।
4	प्रचार अधिकारी	यथोक्त	यथोक्त	सभी	यथोक्त	
वर्ग II पद						
5	अधीक्षक	अध्यक्ष, कार्यपालिका समिति के परामर्श से	अध्यक्ष	सभी	केन्द्रीय सरकार	

1	2	3	4	5	6	7
6	तकनीकी अधिकारी	यथोक्त	अध्यक्ष	सभी	यथोक्त	
7	लेखा पाल	यथोक्त	अध्यक्ष	सभी	यथोक्त	
वर्ग III पद						
8	सहायक	अध्यक्ष	अध्यक्ष	सभी	केन्द्रीय सरकार ।	
9	आशुलिपिक (ज्येष्ठ,और कनिष्ठ)	अध्यक्ष	अध्यक्ष	सभी	यथोक्त	
10	लिपिक (उच्च श्रेणी और निम्न श्रेणी लिपिक)	अध्यक्ष	अध्यक्ष	सभी	यथोक्त	
11	स्टाफ कार ड्राइवर	अध्यक्ष	अध्यक्ष	सभी	यथोक्त	परिनिन्दा की शास्ति निदेशक द्वारा अधिरोपित की जा सकती है और मामले की रिपोर्ट अध्यक्ष को जाए।
वर्ग iv पद						
12	गेस्टेटनर आपरटर	निदेशक	निदेशक	सभी	अध्यक्ष	
13	दफ्तरी	निदेशक	निदेशक	सभी	अध्यक्ष	
14	चपरासी, चौकीदार मिस्त्री, प्रयोगशाला परिचर	निदेशक	निदेशक	सभी	अध्यक्ष	

1	2	3	4	5	6	7
	वर्ग 11 पद		**तकनीकी पद**			
15	साख्यिकी अधिकारी	अध्यक्ष, कार्यपालिका समिति के परामर्श से	अध्यक्ष	सभी	केन्द्रीय सरकार	
16	सहकारिता अधिकारी	अध्यक्ष, कार्यपालिका समिति के परामर्श से	अध्यक्ष	नियम 11 की (1), से तक		
17	संम्पर्क अधिकारी	अध्यक्ष, कार्यपालिका समिति के परामर्श से	अध्यक्ष	सभी	यथोक्त	परिनिन्दा की शास्ति निदेशक द्वारा अधिरोपित की जा सकती है और मामलों की रिपोर्ट अध्यक्ष को की जाए।
18	क्षेत्र-अधिकारी	यथोक्त	अध्यक्ष	सभी	यथोक्त	यथोक्त
	वर्ग III पद					
19	कनिष्ठ क्षेत्र अधिकारी	अध्यक्ष	अध्यक्ष	सभी	यथोक्त	यथोक्त
20	फार्म सहायक	अध्यक्ष	अध्यक्ष	सभी	यथोक्त	परिनिन्दा की शास्ति निदेशक द्वारा अधिरोपित की जा सकती है और मामले की रिपोर्ट अध्यक्ष को की जा सकती है।
21.	प्रयोगशाला सहायक	अध्यक्ष	अध्यक्ष	सभी	यथोक्त	यथोक्त
22.	क्षेत्र सहायक	अध्यक्ष	अध्यक्ष	सभी	यथोक्त	यथोक्त
			तकनीकी (वैज्ञानिक) पद			
23.	उप-निदेशक	कार्यपालिका समिति	कार्यपालिका समिति	सभी	केन्द्रीय सरकार	परिनिन्दा की शास्ति निदेशक या अध्यक्ष द्वारा अधिरोपित की जा सकती है और मामले की रिपोर्ट कार्यपालिका समिति को की जाए।

1	2	3	4	5	6	7
24.	रोग - विज्ञानी, कीट - विज्ञानी कृषि, रसायन विज्ञानी और तत्समान अनुभागीय प्रमुख ।	यथोक्त	यथोक्त	सभी	यथोक्त	यथोक्त
25.	अनुसंधान-सहायक	अध्यक्ष, कार्यपालिका समिति के परामर्श से	अध्यक्ष	सभी	यथोक्त	यथोक्त

[सं० फा० 29 (53) प्लांट (बी०) / 68]

ए० के० मिश्रा, उप निदेशक ।

MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING, WORKS HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT

(Department of Works, Housing and Urban Development)

(Works Division)

New Delhi, the 16th June 1971

G.S.R. 1056.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central Public Works Department (Central Office) Architectural Assistant Recruitment Rules, 1969, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Public Works Department (Central Office) Architectural Assistant Recruitment (Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. In the Central Public Works Department (Central Office) Architectural Assistant Recruitment Rules, 1969—for rule 5—the following rule shall be substituted namely :—

"5. *Disqualification*—

No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule."

[No. 33/6/70-Admn. IV]

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन और निर्माण आवास और नगर विकास मंत्रालय

(नि० आ० और न० वि० विभाग)

(निर्माण प्रभाग)

नई दिल्ली, 16 जून, 1971

सा०का०नि० 1056.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (केन्द्रीय कार्यालय) स्थापत्य कला सहायक भर्ती नियम 1969 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**:—(1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (केन्द्रीय कार्यालय) स्थापत्य कला सहायक भर्ती (संशोधन) नियम, 1971 होगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (केन्द्रीय कार्यालय) स्थापत्य कला सहायक भर्ती नियम, 1969 में, नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"5-**निरर्हताएं**:—वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।"

[सं० 33/6/70—प्रशा० 4]

G.S.R. 1057.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules further to amend the Central Public Works Department (Central Office) Draftsmen Recruitment Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Public Works Department (Central Office) Draftsmen Recruitment (Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Public Works Department (Central Office) Draftsmen Recruitment (Amendment) Rules 1962—for rule 5—the following rule shall be substituted namely:—

"5. *Disqualification.*—No person.

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other gorunds for so doing, exempt any person from the operation of this rule."

[No. 33/6/70-Admn. IV.]

सा० का० नि० 1057.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (केन्द्रीय कार्यालय) नक्शानवीस भर्ती नियम, 1962 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (केन्द्रीय कार्यालय) नक्शानवीस भर्ती (संशोधन) नियम, 1971 होगा (2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे :'

2. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (केन्द्रीय कार्यालय) नक्शानवीस भर्ती (संशोधन) नियम, 1962 में नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"5. निरर्हताएं:—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्न के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

सेवा में नियुक्ति का मात्र पात्र नहीं होगा ;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को उस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी :"

[सं० 33/6/70-प्रशा० 4]

New Delhi, the 17th June 1971

G.S.R. 1058.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Public Works Department Architectural Staff (Gezetted) Recruitment Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Public Works Department Architectural Staff (Gazetted) Recruitment (amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. In the Central Public Works Department architectural Staff (Gazetted) Recruitment Rules 1962—for rule—5—the following rule shall be substituted namely:—

"5. Disqualification—

No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the posts:

provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule."

[No. 33/6/70-Admn. IV]

S. N. BANERJI, Deputy Secy.

नई दिल्ली, 17 जून 1971

सा० का० नि० 1058.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग स्थापत्यकला कर्मचारीवृन्द (राजपत्रित) भर्ती नियम, 1962 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** : (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग स्थापत्य कला कर्मचारीवृन्द (राजपत्रित) भर्ती (संशोधन) नियम, 1971 होगा ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग स्थापत्य कला कर्मचारीवृन्द (राजपत्रित) भर्ती नियम, 1962 में नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जायगा, अर्थात :—

"5—**निरर्हताएं** :—वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।"

[सं० 33/6/70—प्रशा० 4]

एस० एन० बनर्जी, उप सचिव ।

MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE

(Department of Social Welfare)

New Delhi, the 18th June 1971

G.S.R. 1059.—In exercise if the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Staff Car Driver in the office of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Office of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Staff Car Driver) Recruitment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Schedule annexed hereto.
Schedule annexed hereto.

3. **Number of post, classification and scale of pay.**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule:

Provided that the upper age limit specified in column 6 of the said Schedule may be relaxed in the case of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

5. **Disqualifications.**—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Recruitment Rules for Staff Car Driver in the Office of the Commissioner for

Name of Post	No of Post	Classification.	Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post.	Age for direct recruits	Education and Other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Staff Car Driver	1	General Central Service Class III, non-Gasetted, non-Ministerial.	Rs. 110-3-131-4-139	Not-applicable	23-30 years.	*Essential* : Possession of a valid driving licence for Motor Cars, knowledge of motor cars, knowledge of motor mechanics anp experience of driving a car for at least five years. *Desirable* : A pass in the 8th Standard.

Scheduled Caste and Scheduled Tribes

Whether age and education qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of Promotees.	Period of probation if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation /transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a DPC exists what is its composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making rectuitment.
8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	by transfer, failing which, by direct recruitment.	By transfer on the result of a test in driving designed to adjudge suitability for the post with reference to standards of competence considered essential in drivers of Staff Cars, from amongst the regular Class IV employees in the Office of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, who possess the qualifications specified in Column. 7.	Not applicable.	Not applicable.

[No. 3/1/71-SCT(I).]

O. P. SINGH BHATIA, Under Secy.

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय

(समाज कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 18 जून, 1971

जी० एस० आर० 1059.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कार्यालय में स्टाफ-कार ड्राइवर के पद पर भर्ती के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ :**—(1) ये नियम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कार्यालय (स्टाफ कार ड्राइवर) भर्ती नियम, 1971 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. **प्रयोज्यता :**—ये नियम अनुबन्धित अनुसूची के कालम 1 में दिए गए पद पर लागू होंगे ।

3. **पद की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :**—पद की संख्या, इसका वर्गीकरण और इस से सम्बन्धित वेतनमान संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 तक दिए अनुसार होंगे ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, तथा अन्य योग्यताएं :**—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा इससे सम्बन्धित अन्य विषय उपर्युक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 तक में दिए गए अनुसार होंगे ;

परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सामान्य आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य विशिष्ट वर्गों से सम्बन्धित उम्मीदवारों के मामलों में सीधी भर्ती के लिए उक्त अनुसूची में निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा में छूट दी जा सकेगी ।

5. **अयोग्यताएं :**—ऐसा कोई व्यक्ति—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है, जिसका पति/पत्नी जीवित है, अथवा

(ख) जिसने पति/पत्नि के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार सन्तुष्ट हो कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अधीन अनुमेय है तथा ऐसा करने के आधार है, तो किसी उम्मीदवार को इस नियम से छूट दी जा सकती है ।

6. **छूट देने की शक्ति:**—जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि छूट देना आवश्यक या उचित है, वहां लिखित कारणों के आधार पर आदेश द्वारा किसी श्रेणी या वर्ग से सम्बन्धित व्यक्तियों को इन नियमों के किसी उपबन्ध से छूट दी जा सकती है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के कार्यालय में

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान	प्रवरण पद या अप्रवरण पद	सीधी भर्ती के लिए आयु	सीधी भर्ती किए जाने वालों के लिए शैक्षिक तथा अन्य अपेक्षित योग्यताएं:—
1	2	3	4	5	6	7
स्टाफ-कार ड्राइवर	1	साधारण केन्द्रीय सेवा श्रेणी 3, गैर-राजपत्रित, गैर-अनुसचिवीय	110—3—131—4—139 रुपए	लागू नहीं	23–30 वर्ष	**अनिवार्य :** मोटर कारों के लिए विधिमान्य ड्राइविंग लाइसेंस हो, मोटर कारों की जानकारी, मोटर मेकेनिक्स की जानकारी तथा कम से कम 5 वर्ष तक कार चलाने का अनुभव। **वांछनीय :** 8 वीं कक्षा पास।

स्टाफ कार ड्राइवर के लिए भर्ती नियम

क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती-पद्धति, सीधी भर्ती से अथवा प्रतिनियुक्ति से अथवा स्थानान्तरण से तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण से भर्ती किए जाने पर वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किए जाने हैं ।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो इसका गठन क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना है ।
8	9	11	10	12	13
लागू नहीं	2 वर्ष	स्थानान्तरण द्वारा, वैसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के ऐसे नियमित श्रेणी 4 कर्मचारियों में से जिनके पास कालम 7 में दी गई योग्यताएं हैं, स्टाफ कारों के ड्राइवरों में अनिवार्य समझे जाने वाले क्षमता के मानदण्डों के संदर्भ में पद के लिए उपयुक्तता का पता लगाने के लिए ड्राइविंग में परीक्षा के परिणाम पर स्थानान्तरण द्वारा	लागू नहीं	लागू नहीं

[सं० 3/1/71-एस० सी० टी० (1)]

ओ० पी० सिंह भाटिया, अवर सचिव ।

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 18th June 1971

G.S.R. 1060.—Whereas certain draft rules further to amend the Cochin Harbour Craft Rules, 1947, were published as required by sub-section (2) of section 6 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), at pages 321 and 322 of the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i), dated the 30th January, 1971 under the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport No. G.S.R. 147, dated the 12th January, 1971, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the 28th February, 1971;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 1st February, 1971;

And whereas no objections or suggestions have been received from the public;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (k) of sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cochin Harbour Craft Rules, 1947, namely:—

1. These rules may be called the Cochin Harbour Craft (Amendment) Rules, 1971.

2. In rule 28 of the Cochin Harbour Craft Rules, 1947, the following Note shall be added at the end, namely:—

"Note.—A surcharge of 10 per cent on the rates specified above shall also be payable.".

[No. F.6-PG(17)/70.]

K. L. GUPTA, Under Secy.

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई देल्ली, 18 जून, 1971

जी० एस० आर० 1060.—यतः कोचीन बंदरगाह यान नियम, 1947 में और संशोधन करने के लिए कतिपय प्रारूप नियम भारत के राजपत्र तारीख 30 जनवरी 1971, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) के पृष्ठ 321 और 322 पर भारत सरकार के नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० नि० 147 तारीख 12 जनवरी 1971 के अंतर्गत भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 6 की धारा (2) की अपेक्षानुसार प्रकाशित किये गये थे, और उनसे संभाव्यतः प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव 28 फरवरी 1971 तक आमंत्रित किये गये थे और यतः उक्त राजपत्र 1 फरवरी, 1971 की जनता को उपलब्ध करा दिया गया था और यतः जनता से कोई आक्षेप या सुझाव नहीं हुए हैं,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार कोचीन बंदरगाह यान नियम 1947 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. इन नियमों के नाम कोचीन बंदरगाह यान (संशोधन) नियम, 1971 होगा ।
2. कोचीन बंदरगाह यान नियम, 1947 के अन्त में निम्नलिखित टिप्पण जोड़ा जाएगा, अर्थात

टिप्पण :—उपरोक्त विनिर्दिष्ट दरों पर 10 प्रतिशत अधिभार भी संदेय होगा ।

[सं० फा० 6 पी० जी० (17)/70]

क० एल० गुप्ता, अवर सचिव ।

CABINET SECRETARIAT
(Department of Personnel)
ERRATA

New Delhi, the 22nd June 1971

G.S.R. 1061.—In the notification of the Government of India, Cabinet Secretariat (Department of Personnel) No. G.S.R. 665, dated the 26th April, 1971, published in the Gazette of India, Part II-Section 3-Sub-section 3 (i), dated the 8th May, 1971/18 Vaisakha, 1893—

(i) at page 1885 in sub-regulation (3) of regulation 2 against item 1 "Chief Conservator of Forests .... 1"

(ii) at page 1885 in sub-regulation (3) of regulation 2 against item 7 "Junior posts @ 20 % of 4 above .... 3" *read* "Junior posts @ 20 % of 4 above .... 2".

[No. 6/36/70-AIS(IV).]

B. NARASIMHAN, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILTATON
(Department of Labour and Employment)
(D.G.E.&T.)

New Delhi, the 19th June 1971

G.S.R. 1062.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 37 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961), the Central Government, after consulting the Central Apprenticeship Council, hereby makes the following rules further to amend the Central Apprenticeship Council Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Apprenticeship Council (Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Apprenticeship Council Rules, 1962, for Clause (d) of rule 3, the following Clause shall be substituted, namely:—

"(d) not more than 18 representatives of the State Governments.".

[No. 24(1)/71-AP.]

ISHWAR CHANDRA, Jt. Secy.

श्रम, नियोजन एवं पुनर्वास मंत्रालय
नियोजन एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय

नई दिल्ली, 18 जून, 1971

सा० का० नि० 1062.—शिशु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अनुभाग 37 के उप-अनुभाग (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय शिक्षुता परिषद से परामर्श करने के उपरान्त, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा केन्द्रीय शिक्षुता नियम, 1962 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात: —

1. (एक) ये नियम केन्द्रीय शिशु परिषद् (संशोधन) नियम कहे जा सकेंगे ।

(दो) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय शिक्षु परिषद् नियम, 1962 के नियम 3 की धारा (घ) के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(घ) 18 से अनधिक राज्य सरकार के प्रतिनिधि ।"

[सं० 24(1)/71-एपी०]

ईश्वर चन्द्र, संयुक्त सचिव ।

(Department of Labour and Employment)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 26th June 1971

G.S.R. 1063.—In the Schedule to the Notification of the Government of India, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. G.S.R. 629 dated the 21st April, 1971, published in Part II Section 3, sub-section (i) of the Gazetted of India, dated the 1st May 1971, for the word 'Workshop' *read* 'Workspot'.

[No. S.65012/1/71/LRIII(i).]

S. S. SAHASRANAMAN, Under Secy.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 19th June 1971

G.S.R. 1064.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Technical Assistant in the Sub Office of the Directorate of Rice Development at Hyderabad, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Directorate of Rice Development, Sub-Office (Senior Technical Assistant) Recruitment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post specified in column 1 of the Schedule hereto annexed.

3. **Number, classification and scale of pay.**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid:

Provided that the upper age limit prescribed for direct recruitment may be relaxed in the case of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or other special categories of persons in accordance with the orders issued from time to time by the Central Government.

5. **Disqualification.**—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

THE SCHE

Recruitment Rules for the post of Senior Technical Assistant in the Sub-Office of the

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Senior Technical Assistant.	One	General Central Service, Class II, (Non-Gazetted) (Non-Ministerial).	Rs. 325-15-475-EB-20-575.	Not applicable.	Not exceeding 30 years (relaxable for Government servants.	*Essential* : (i) Degree in Agriculture from a recognised University or equivalent, (ii) About three years' experience of Agricultural Planning /Development/ Extension Work with special reference to Food Crops, preferably Paddy. (Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well-qualified). *Desirable* : Master's degree in Agriculture (Agronomy).

DULE

Directorate of Rice Development, Hyderabad

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees ?	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer, and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years.	By direct recruitment	Not applicable.	Not applicable.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

[No. 14-9/70-CA.II/EE.III.]

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 19 जून 1971

जी० एस० आर० 1064.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चावल विकास निदेशालय, हैदराबाद के उप कार्यालय में ज्येष्ठ तकनीकी सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** (1) इन नियमों का नाम चावल विकास निदेशालय, उप-कार्यालय (ज्येष्ठ तकनीकी सहायक) भर्ती नियम, 1971 होगा ;

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे।

3. **संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट है।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमाएं, अर्हताएं और उससे सम्बन्धित अन्य बातें वे होगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं :

परन्तु सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की बाबत विहित अधिकतम आयु सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार, किसी भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या किसी अन्य विशेष वर्ग के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल की जा सकेंगी।

5. **निरर्हताएं** :—वह व्यति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लिपिबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेंगी।

अनु

विकास निदेशालय, हैदराबाद के उपकार्यालय में ज्येष्ठ तकनीकी सहायक

पद का नाम	पदों की सं०	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होगीं या नहीं।
1	2	3	4	5	6	7	8
ज्येष्ठ तकनीकी सहायक	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 2 (अराजपत्रित) अननुसचिवीय)	325—15—475 द० रो०—20—575	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है)	आवश्यक : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में डिग्री या समतुल्य (ii) कृषि योजना विकास/विस्तारण कार्य का, खाद्य फसलों, अधिमान्यतः धान	लागू नहीं होता

सूची

के पद पर भर्ती के नियम

परिवीक्षा की कालावधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा, तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति किया जाएगा ।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
9	10	11	12	13
दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथा अपेक्षित ।

1	2	3	4	5	6	7	8
							के प्रति विशेष निर्देश से, लगभग तीन वर्ष का अनुभव। (अन्यथा सुअर्हितव्यक्तियों की दशा में अर्हताएं आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेंगी। **वांछनीय:** कृषि (शस्य विज्ञान) की मास्टर की डिग्री

9	10	11	12	13

[सं० 14-9/70-सी०ए० 2/ई०ई० 3]

New Delhi, the 24th June 1971

G.S.R. 1065.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Directorate of Extension (Class III and Class IV Posts) Recruitment Rules, 1964, namely:—

1. (1) These rules may be called the Directorate of Extension (Class III and Class IV Posts) Recruitment (Fifth Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Directorate of Extension (Class III and Class IV Posts) Recruitment Rules, 1964 after the existing items and entries, the following item and entries shall be inserted, namely:—

1	2	3	4	5	6	7
"Mail	One	General Central Service Class IV (Non-Gazetted)	Rs. 70—1—80—EB—1—85	Not applicable	Not exceeding 25 years	(1) Should be literate. (2) Should possess about 5 years' experience of rearing ornamental plants and shrubs and maintenance of lawns, hedges and potted plants. (3) Knowledge of raising nurseries and seasonal flowers.

8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	Not applicable"

[No. 16-12/70-CA. II/EE. III.]

B. L. MANIHAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 जून, 1971

जी० एस० आर० 1065.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विस्तार निदेशालय (श्रेणी III और IV पद) भर्ती नियम, 1964 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का नाम विस्तार निदेशालय (श्रेणी III और IV पद) भर्ती (पांचवां संशोधन) नियम, 1971 होगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विस्तार निदेशालय (श्रेणी III और IV पद) भर्ती नियम, 1964 की अनुसूची में, विद्यमान पदों और प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित पद और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात :—

1	2	3	4	5	6
माली	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा श्रेणी IV (अराजपत्रित)	रु० 70—1—80—द० लागू नहीं होता रो०—1—85		25 वर्ष से अनधिक

7	8	9	10	11	12	13
(1) पढ़ा-लिखा होना चाहिए । (2) सजावटी पौधों और झाड़ियों के संवर्धन का और लान/बाड़ बनाने और बर्तन में रखे हुए पौधों को संधारित रखने का लगभग 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए । (3) नर्सरी और मौसमी फूलों के संवर्धित करने का ज्ञान ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[सं० 16-12/70-सी० ए० 2/ई० ई० 3]

बी० एल० मनीहार,
अवर सचिव ।

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 24th June 1971

G.S.R. 1066.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Class I posts in the Directorate of Economics and Statistics in the Department of Agriculture of the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These Rules may be called the Directorate of Economics and Statistics (Class I Posts) Recruitment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts as specified in column 1 of the Schedule Annexed hereto.

3. **Number, Classification and scale of pay.**—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid:

Provided that the upper age limit prescribed for direct recruitment may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Central Government issued from time to time.

5. **Disqualification.**—No person:

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to service/post/any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion, that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

THE SCHE

Recruitment Rules for the posts of Deputy Director (Economics/Cost of Production Studies), Development and Cooperation (Department of Agriculture)

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection Post or non-Selection post	Age for direct recruits	Educational and other Qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
1. Deputy Director (Economics)	1	General Central Services Class I Gazetted	Rs. 700—40—1100—50/2—1250.	Not applicable	40 years and below (Relaxable for Government servants)	*Essential* : (*i*) Second Class Master's degree in Economics or Commerce or M.Sc. (Agr.) degree in Agricultural Economics of a recognised University or equivalent. (*ii*) About 5 years experience of conducting agro-economic surveys. (Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified). *Desirable* : (*i*) Doctorate or other Research Degree in Economics or Commerce or Agricultural Economics.
2. Deputy Director (Cost of Production Studies).	Do.	Do.	Do.	Do.	Do.	*Essential* : (*i*) Second Class Master's Degree in Statistics, or 2nd Class Master's degree in Mathematics or Commerce or Economics with Statistics as one of the subjects, from a recognised University or equivalent, OR Second Class Degree of a recognised University with Statistics/ Mathematics / Economics as a subject, plus

DULE

Directorate of Economics and Statistics in the Ministry of Food, Agriculture, Community

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition.	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	By transfer on deputation, failing which by direct recruitment.	*Transfer on deputation* : Officers of Gr. III of IES or officers of Gr. IV of that Service with 6 years service in the Grade, or officers of the Central or State Governments holding posts analogous to Grade III of the I.E.S. possessing the qualifications and experience prescribed in col. 7. (Period of deputation—ordinarily not exceeding 3 years).	Not applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation Regulations, 1958)
Do.	Do.	Do.	*Transfer on deputation* : Officers of Gr. III of ISS, or officers of Gr. IV of that Service in the Grade, or officers of the Central or State Govts. holding posts analogous to Grade III of the I.S.S., possessing the qualifications and experience prescribed in col. 7. (Period of deputation—ordinarily not exceeding 3 years).	Do.	Do.

1	2	3	4	5	6	7
						a recognised Diploma obtained after at least 2 years post-graduate training in Statistics. (*ii*) About 5 years experience of Statistical/ data possessing work, relating to agro-economic intelligence. (Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified). *Desirable* : Training in programming on electronic computer.

8	9	10	11	12	13

[No. A. 12018/1/71-E- E. II]

P. U. THOMAS,
Under Secy.

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 24 जून 1971

जी० एस० आर० 1066.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय के कृषि विभाग में, अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय में कतिपय वर्ग 1 के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** :—(1) इन नियमों का नाम अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय (वर्ग 1 पद) भर्ती नियम, 1971 होगा :

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. **लागू होना** .—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. **संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** .—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि** .—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमाएं, और उनसे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की बाबत विनिर्दिष्ट अधिकतम आयु-सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार किसी भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य विशेष प्रवर्ग के अभ्यार्थियों के सम्बन्ध में शिथिल की जा सकेगी ।

5. **निरर्हताएं** .— वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

सेवा पद में उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम से प्रवर्तन से छूट दे सकेगी :

6. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लिपिबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी :

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती वाले आयु	किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए
1	2	3	4	5	6
1. उपनिदेशक (अर्थ)	1	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग : राजपत्रित	700-40-1100-50/2-1250	लागू नहीं होता	40 वर्ष और उससे कम (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकेगी)

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की कालावधि यदि कोई हो
7	8	9
1. आवश्यक (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थ शास्त्र या वाणिज्य शास्त्र में द्वितीय श्रेणी मास्टर उपाधि या कृषि अर्थ शास्त्र में एम० एस० सी० (कृषि) उपाधि या समतुल्य : (ii) कृषि अर्थ संबंधी सर्वेक्षण कराने का लगभग 5 वर्ष का अनुभव : (अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में अर्हताएं आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेंगी)	लागू नहीं होता	दो वर्ष
वांछनीय :—अर्थशास्त्र या वाणिज्य शास्त्र या कृषि अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट या अन्य अनुसंधान की उपाधि :		

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत :	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियो में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायगा
10	11	12	13
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधे भर्ती द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा भा० आ० से० के श्रेणी 3 के अधिकारी या उस सेवा के श्रेणी 4 के वे अधिकारी जिनकी श्रेणी में 6 वर्ष की सेवा हो या केन्द्रीय या राज्य सरकारों के भा० आ० से० के श्रेणी 3 के सदृश्य पदों को धारण करने वाले वे अधिकारी जिनके पास स्तंभ 7 में विहित अर्हतायें और अनुभव हों : (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यता 3 वर्ष से अधिक नहीं)	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथा अपेक्षित ।

1	2	3	4	5	6
2. उपनिदेशक (उत्पादन लागत अध्ययन)	1	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग राजपत्रित	700–40–1100–50/2–1250	लागू नहीं होता	40 वर्ष और उससे कम (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकेगी)

7	8	9
2. आवश्यक : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्याकी में द्वितीय श्रेणी में मास्टर की उपाधि या सांख्याकी विषय सहित गणित या वाणिज्य शास्त्र का अर्थशास्त्र में द्वितीय श्रेणी में मास्टर की उपाधि या समतुल्य; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में सांख्याकी गणित अर्थशास्त्र विषय सहित द्वितीय श्रेणी में उपाधि तथा सांख्यिकी में कम से कम 2 वर्ष के स्नातकोतर प्रशिक्षण के पश्चात, प्राप्त मान्यता प्राप्त डिप्लोमा : (ii) कृषि अर्थ संबधी अधिसूचना से संबधित सांख्यिकीय आंकड़ों के विश्लेषण कार्य का लगभग 5 वर्ष का अनुभव (अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में अर्हताए आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेगी)	लागू नहीं होता	दो वर्ष
वांछनीय —इलेक्ट्रोनिक कमप्यूटर पर प्रोग्रेमिंग का प्रशिक्षण :		

10	11	12	13
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधे भर्ती द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण भा० सा० से० के श्रेणी 3 के अधिकारी या उस सेवा के श्रेणी 4 के अधिकारी जिनकी श्रेणी में 6 वर्ष की सेवा हो या केन्द्रीय या राज्य सरकारों के श्रेणी 3 के सदृश पदों को धारण करने वाले वे अधिकारी जिन्हें स्तंभ 7 में विहित अर्हताएं और अनुभव हों : (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यता 3 वर्ष से अधिक नहीं)	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग परामर्श से छूट विनिमय, 1958 के अधीन यथा अपेक्षित ।

[सं० ए० 12018/1/71-वा० स्था०-2]

पी० उ० टामस, अवर सचिव ।

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 17th June 1971

G.S.R. 1067.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Class I and Class II posts in the Indo-Norwegian Project under the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture), namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Indo-Norwegian Project (Class I and Class II posts) Recruitment Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in Column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. **Number of posts, their classification and scales of pay.**—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid:

Provided that the upper age limit prescribed for direct recruitment may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued from time to time by the Government of India.

5. **Liability to serve in Defence Services and posts connected with Defence.**—Any person appointed to the post of Mechanical Marine Engineer shall, if so required, be liable to serve in any Defence Service or post connected with the Defence of India, for a period of not less than four years, including the period spent on training, if any:

Provided that such person,

(a) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment;

(b) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty-five years.

6. **Disqualification.**—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

THE SCHE

Recruitment Rules for the Posts of (i) Mechanical Marine Engineer and (ii) Processing Technologist Development and Cooperation.

S. No.	Name of Post	No. Posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection Post or non-selection Post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications requird for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mechanical Marine Engineer	One	General Central Service, Class I, Gazetted.	Rs. 700—40—1100—52/2—1250	Not Applicable	40 years (Relaxable for Government servants)	*Essential:* (i) A degree in Mechanical or Marine Engineering of a recognised University or equivalent. (ii) About 5 years experience in at least one of the following :— (a) Machine shops with upto date machines and tools. (b) Marine Engineering Work shop. (c) Manufacture or repair of Marine diesel engines. (d) Dockyard and slipway working (Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified). *Desirable* (i) B.O.T. or M.O.T certificate of competency. (ii) Experience in the maintenance and repairs of fishing vessels with steel hulls.

DULE

Indo Norwegian Project, Department of Agriculture in the Ministry of Food, Agriculture, Community

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation, if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/ transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C is to be consulted in making rectt.
9	10	11	12	13	14
Not Applicable	2 years	By direct recruitment	Not Applicable	Not Applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Processing Technologist	One	General Central Service, Class II, Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800	Not Applicable	35 years (Relaxable for Government servants).	*Essential* (i) M.Sc. degree in Chemistry or Biochemistry or degree in Food Technology of a recognised University or equivalent. (ii) Some experience of practical training in methods of fish processing, preservation, freezing and storage, and utilization of fish by-products. (Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified).

9	10	11	12	13	14
Not Applicable	2 years	By direct recruitment	Not Applicable	Not Applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

[No. A 12018/8/70-EEI]

R. N. GUPTA, Under Secy.

कृषि विभाग

नई दिल्ली 17 जून 1971

जी०एस०आर० 1067 राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय कृषि विभाग के अधीन भारत नार्वे परियोजना में कतिपय वर्ग 1 और 2 पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम भारत नार्वे परियोजना (वर्ग 1 और वर्ग 2 पद) भर्ती नियम, 1970 होगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होंगा : ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगें।

3. पद संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे सम्बद्ध वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, और उनसे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की बाबत विनिर्दिष्ट अधिकतम आयुसीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार, किसी भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या किसी अन्य विशेष प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में शिथिल की जा सकेगी ।

5. **रक्षा से सम्बन्धित रक्षा सेवाओं और पदों में सेवा का दायित्व** : कोई व्यक्ति जो यांत्रिक-समुद्री-इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुआ है, यदि ऐसा अपेक्षित हो तो, भारत की रक्षा से सम्बन्धित रक्षा सेवा या पद में चार वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए, जिसमें प्रशिक्षण पर, यदि कोई हो, व्यतीत अवधि भी सम्मिलित है, सेवा करने के दायित्वाधीन होगा ;

परन्तु ऐसे व्यक्ति से,

(क) नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष के अवसान के पश्चात् पूर्वोक्त रूप में सेवा करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।

(ख) पैंतालीस वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् पूर्वोक्त रूप में सामान्यः सेवा करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।

6. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तनों से छूट दे सकेगी ।

शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां पर, वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लिपिबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग व्यक्तियों या पद की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

कृषि मंत्रालय, कृषि विभाग, भारत नार्वे परियोजना में

(i) यान्त्रिक समुद्री इंजीनियर और

(ii) संसाधन शिल्प विज्ञानी के पदों के लिए भर्ती नियम

क्रम सं०	पद का नाम	पदो की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	7
1	यान्त्रिक समुद्री इंजीनियर	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 1 राजपत्रित	700-40-1100-50/2-1250 रु०	लागू नही होता	40 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकेगी

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होगी या नहीं ।	परिवीक्षा की कालावधि यदि कोई हो ।
8	9	10
आवश्यक (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यान्त्रिक या समुद्री इंजीनियरी में उपाधि या समतुल्य । (ii) निम्नलिखित में से किसी एक में लगभग 5 वर्ष का अनुभव :— (क) मशीन कर्मशाला जिसमें अद्यतन मशीनें और औजार हों । (ख) समुद्री इंजीनियरी कर्मशाला । (ग) समुद्री डीजल इंजनों का विनिर्माण या मरम्मत । (घ) ड्राफ्ट यार्ड और संसर्पिका (स्लिपवे) काम काज । (अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में अर्हताएं आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेंगी)	लागू नहीं होता	2 वर्ष
वांछनीय (i) बी० ओ० टी० या एम० ओ० टी० का सक्षमता का प्रमाणपत्र (ii) मछली पकड़ने के जलयानों के जिनके इस्पात के खोल हैं, अनुरक्षण और मरम्मत का अनुभव ।		

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियो द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत ।	प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा ।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
11	12	13	14
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	जैसा संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन अपेक्षित है ।

1	2	3	4	5	6	7
2	संसाधन-शिल्प विज्ञानी	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 2 राजपत्रित अननुसचिवीय	350–25–500–30–590–द० रो०-30–800 ह०	लागू नहीं होता	35 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकेगी)

8	9	10
आवश्यक (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र या जीव-रसायन में एम० एस० सी० उपाधि या खादेय-शिल्प विज्ञान में उपाधि या समतुल्य । (ii) मछली संसाधन, परिरक्षण, जमाने और भण्डारकरण और मछली के उपोत्पादों के उपयोग की विधियों के व्यवहारिक प्रशिक्षण का कुछ अनुभव । (अन्यथा पुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा मे अर्हताएं आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेगी)	लागू नहीं होता	2 वर्ष

11	12	13	14
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	जैसा संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन अपेक्षित है ।

[सं०ए० 12018/8/70-स्था० 1]

आर० एन० गुप्ता,
अवर सचिव ।

(Department of Community Development and Cooperation)

New Delhi, the 18th June 1971

G.S.R. 1068.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Audio Visual Media Assistant in the Departments of Community Development and Cooperation, under the Ministry of Agriculture, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Departments of Community Development and Cooperation (Audio Visual Media Assistant) Recruitment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply for recruitment to the post as specified in column 1 of the Schedule hereto.

3. **Number, Classification and Scale of pay.**—The number of posts, their classification and the pay attached to them shall be specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

Provided that the maximum age limit specified in Column 6 of the Schedule may be relaxed in the case of Scheduled Castes, Scheduled Tribes or other special categories of persons in accordance with orders of the Government of India issued from time to time.

5 **Disqualification**—(1) No male candidate, who has more than one wife living or who, having a spouse living, marries in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the lifetime of such spouse shall be elgible for appointment to the post; and

(2) no female candidate, whose marriage is void by reason of her husband having a wife living at the time of such marriage, or who has married a person who has a wife living at the time of such marriage, shall be eligible for appointment to the post;

Provided that the Central Government, may if satisfied that there are special ground for so ordering, exempt any person from the operation of rule

6. **Powers to Relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any person.

Recruitment rules for the post of Audio Visual Media Assistant in Ministry of

Name of post	No. of Posts.	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-Selection Post	Age for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Audio Visual Media Assistant.	1	General Central Service Class II Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 325-15-475-EB-20-575.	Not Applicable	30 years and below (Relaxable for Govt. servants).	*Essential* : (i) Degree of a recognised University or equivalent . (ii) Knowledge of the mechanism of the cinecamera and still camera and skill in their operation. (iii) About 2 years experience in operating a film projector. (Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified). *Desirable* : (i) Experience in Cataloguing of films and photographs and of their proper maintenance. (ii) Experence of organising photograpghic exhibitions. (iii) Knowledge of printing and developing photographs from negatives.

Agriculture (Deptts. of Community Development & Cooperation).

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation if any.	Method of rectt. whether by direct rectt, or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of rectt. by promotion / deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/ transfer to be made.	If a DPC exists what is its composition.
8	9	10	11	12
Not Applicable	2 years	By direct rectt.	Not applicable	Not-applicable

[No. F. A. 12018/2/70-E.II.]

S. V. RAMASWAMY, Under Secy.

(सामुदायिक विकास और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 18 जून 1971

जी० एस० आर० 1068 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय के अधीन सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय में श्रव्यदृश्य माध्यम सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1—**संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** :—(1) इन नियमों का नाम सामुदायिक विकास और सहकारिता (श्रव्यदृश्य माध्यम सहायक) भर्ती नियम, 1971 होगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2—**लागू होना** :—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे।

3—**पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4—**भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं** :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमाएं, अर्हताएं और उससे सम्बन्धित बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं :

परन्तु उक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 में विनिर्दिष्ट अधिकतम आयु-सीमा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार, किसी भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के सम्बन्ध में शिथिल की जा सकेगी।

5—**निरर्हताएं** :—(i) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हैं या जो एक पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी ऐसी दशा में विवाह करता है जिसमें उस पत्नी के जीवनकाल में किए जाने के कारण वह विवाहशून्य है, उक्त पद पर में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

(ii) कोई भी अभ्यर्थिनी जिसका विवाह इस कारण शून्य है कि उस विवाह के समय उसके पति की पत्नी जीवित थी, या जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पत्नी उस विवाह के समय जीवित थी, उक्त पद पर में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगी :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा आदेश देने के लिए विशेष आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6—**शिथिल करने की शक्ति** :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां, वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लिपिबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी व्यक्ति की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

सामुदायिक विकास और सहकारिता विभाग

में श्रव्य दृश्य माध्यम सहायक के पद पर भर्ती के नियम

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु
1	2	3	4	5	6
श्रव्य-दृश्य माध्यम सहायक	1	साधारण केन्द्रीय सेवा श्रेणी 2 अराजपत्रित, अननुसचिवीय	325-15-457-द० रो०-20-575 रु०	लागू नहीं होता	30 वर्ष और उससे कम (सरकारी सेवकों के लिए शिथिलनीय)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होगी या नहीं :	परिवीक्षा की कालावधि, यदि कोई हो
7	8	9
आवश्यक (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधि या समतुल्य अर्हता (ii) सिने कैमरा और स्थिर कैमरा की क्रियाविधि का ज्ञान और उनके प्रचालन में कुशलता । (iii) फिल्म प्रोजेक्टर चलाने का लगभग 2 वर्ष का अनुभव : (अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में अर्हताएं आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेंगी) **वांछनीय** (i) फिल्मों तथा फोटो चित्रों के सूचीकरण और उनके समुचित अनुरक्षण का अनुभव : (ii) फोटोग्राफी की प्रदर्शनियों लगवाने का अनुभव : (iii) नैगेटिवों से फोटोचित्र और प्रिंट करने और उठाने का अनभव ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण किया जायगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
10	11	12	13
सीधे भर्ती द्वारा	लागू नही होता	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम 1958 के अधीन यथा अपेक्षित

[स० एफ० ए० 12018/2/70-ई० 2]

एस० वी० रामास्वामी,
अवर सचिव ।

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 25th June 1971

G.S.R. 1069.—In exercise of the powers conferred by the Proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Iron Ore Mines Labour Welfare Fund (Class III and IV posts) Recruitment Rules, 1967, namely:—

1. (1) These rules may be called the Iron Ore Mines Labour Welfare Fund (Class III and IV posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Iron Ore Mines Labour Welfare Fund (Class III and IV posts) Recruitment Rules, 1967, after S. No. 21 pertaining to the post of "Helper Cinema Operator" and entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. Field Worker	G.C.S. Class III Non-gazetted Non-Ministerial.	Rs. 130—5—160—8—200—EB—8—256—EB—8—280—10—300.	Selection	By promotion 100% failing which by direct recruitment.	18—25 years.	Intermediate or Senior Cambtidge or Higher Secondary or equivalent.	Two years	No	Adult Education Instructor and Centre Incha ge in the scale of Rs. 100—180 with three years service in the grade.
23. Adult Education Instructor/ Centre Incharge.	Do.	Rs. 110—3—131—4—155 EB—4—175—5—180.	Not applicable.	Direct recruitment	Do.	(1) Matriculation or equivalent. (2) Additional qualification for the post of Adult Education Instructor training in teaching.	Do.	Not applicable.	Not applicable
24. Office Superintendent.	G.C.S. Class III Ministerial Non-gazetted.	Rs. 350—20—450—25—475.	Selection	By promotion 100% failing which by direct recruitment.	Do.	Degree from a recognised University.	Do.	No	Head Clerks in the scale of Rs. 210—380 with 5 years service in the grade
25. Midwife .	G.C.S. Class III Non-Ministerial Non-gazetted.	Rs. 110—3—131—4—155.	Not applicable.	Direct recruitment	Do.	Senior Midwifery certtficate and registered in any of the States or registered as Auxiliary Nurse midwife.	Do.	Not applicable.	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26. Co-operative Inspector.	G.C.S. Class III Non-Ministerial Non-gazetted.	Rs. 185—10—235—15—250—EB—15—325.	Selection	50% by transfer on deputation and 50% by promotion failing which by direct recruitment.	18—25 years.	*Essential* : Degree in Arts or Science or Commerce with Mathematics either in the Intermediate or Degree stage. Training in Co-operative from a recognised Institute. *Desirable* : Knowledge of audit and cost accountancy.	Two years	No	*Transfer on Deputation* Officers holding analogous posts in State/Central Government (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years). *Promotion* : Field Workers in the scale of Rs. 130—300 with three years service in the grade.
27. Assistant Librarian.	Do.	Rs. 130—5—160—8—200—EB—8—256—EB—8—280—10—300.	Do.	100% by direct recruitment.	Do.	*Essential* : Degree from a recognised University. Certificate course in Library Science from recognised Institute with 2 years experience. *Desirable* : Diploma in Library Science from recognised Institute with 2 years experience.	Do.	Not applicable.	Not applicable
28. Centre Incharge of Multipurpose Institutes.	G.C.S. Class IV Non-Ministerial Non-gazetted.	Rs. 70—1—EB—1—85.	Not applicable.	Direct recruitment	18—25 years.	Middle pass or equivalent educational qualification.	Two years.	Not applicable.	Not pplicable

29. Medical Attendant.	Do.	Do.	Do.	Do.	Do.	Do.	Do.	Do.	Do.
30. Mali-*cum*-Water carrier.	Do.	Do.	Do.	Do.	Do.	Some experience in Gardening work.	Do.	Do.	Do.
31. Stenographer.	G.C.S. Class III Ministerial Non-gazetted.	Rs. 130—5—160—8—200—EB—8—256—EB—8—280—10—300.	Do.	Do.	18—24 years.	Matriculate. 100 words per minute in Shorthand and 40 w.p.m. in Typing.	Do.	Do.	Do.
32. Welfare Worker.	G.C.S. Class III Ministerial Non-gazetted.	Rs. 110—3—131—4—155—EB—4—175—5—180.	Do.	Do.	18—21 years.	Matriculate or equivalent qualifications until replaced Higher Secondary.	2 years	Do.	Do.

[No. F. A/12018/2/71-MIII]

C. R. NAIR,
Under Secy.

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय

श्रम और रोजगार विभाग

नई दिली, 25 जून 1971

सा० का० नि० 1069.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोह अयस्क खान श्रम कल्याण निधि (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) भर्ती नियम, 1967 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात

1. (1) इन नियमों का नाम लोह अयस्क खान श्रम कल्याण निधि (वर्ग 3 और 4 पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1971 होगा ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. लोह अयस्क खान श्रम कल्याण निधि (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) भर्ती नियम, 1967 की अनुसूची में 'मददगार सिनेमा आपरेटर' के पद से संबंधित क्रम सं० 21 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात:—

1	2	3	4	5
22. क्षेत्र कर्मकार	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3 अराजपत्रित अननुसचिवीय	130–5–160–8–200–द० रो० 8–256 द० रो० 8–280–10–300 रु०	चयन	शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

6	7	8	9	10
18–25 वर्ष	इन्टरमीडिएट या सीनियर कम्ब्रिज या हायर सकेन्डरी या समतुल्य	दो वर्ष	नहीं	उन प्रौढ़ शिक्षा अनुदेशकों और केन्द्र धार साधकों में से, जो 110–180 के वेतनमान में श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा कर चुके हों

1	2	3	4	5
23. प्रौढ़ शिक्षा अनुदेशक केन्द्र भारसाधक	यथोक्त	110–3–131–4–155–द० रो० 4–175–5–180 रु०	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती

6	7	8	9	10
यथोक्त	(1) मैट्रीकुलेशन या समतुल्य (2) प्रौढ़ शिक्षा अनुदेशक के पद के लिए अतिरिक्त अर्हता अध्यापन प्रशिक्षण	यथोक्त	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5
24. कार्यालय अधीक्षक	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3 सचिवीय अराजपत्रित	350–20–450– चयन 25–475 रु०		शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

6	7	8	9	10
18–25 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से उपाधि	दो वर्ष	नहीं	उन मुख्य लिपिकों में से जो 210–390 रु० वेतनमान में श्रेणी में 5 वर्ष की सेवा कर चुके हों :

1	2	3	4	5
25. दाई	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3 अननुसचिवीय अराजपत्रित	110–3–131–4–155 रु०	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती

6	7	8	9	10
यथोक्त	ज्येष्ठ दाई कार्य प्रमाण-पत्र और किसी राज्य में रजिस्ट्रीकृत या सेहायक नर्स दाई के रूप में रजिस्ट्रीकृत हो	दो वर्ष	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5
26. सहकारिता निरीक्षक	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग III अननुसचिवीय अराजपत्रित	185–10–235–चयन 15–250 द० रो० 15–325 रु०		50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा और 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा :

6	7	8	9	10
18–25 वर्ष	**आवश्यक :** कला या विज्ञान या वाणिज्य में उपाधि और इन्टरमीडियेट या डिग्री स्तर पर गणित हो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सहकारिता का प्रशिक्षण : **वांछनीय :** संपरीक्षा और लागत लेखा कार्य का ज्ञान	दो वर्ष	नहीं	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण उन अधिकारियों में से जो राज्य केन्द्रीय सरकार में सदृश पद धारण करते हों (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)

1	2	3	4	5
27. सहायक पुस्तकाध्यक्ष	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3 अननुसचिवीय अराजपत्रित	130—5—160—8—200द० रो० 8—256—द० रो० 8—280—10—300 रु०	चयन	शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा
28. बहूद्देश्यीय संस्थानों का केन्द्र भारसाधक	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3 अननुसचिवीय अराजपत्रित	70—1—80 द० रो० 1—85 रू०	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती द्वारा
29. चिकित्सीय परिचारक	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
30. माली एवं पानी वाला	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
31. आशुलिपिक	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3 अननुसचिवीय अराजपत्रित	130—5—160—8—200—द० रो० 8—256—द० रो० 8—280 10—300 रु०	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती द्वारा
32. कल्याण कर्मकार	यथोक्त	110—180 रु०	यथोक्त	यथोक्त

6	7	8	9	10
18–25 वर्ष	**आवश्यक** : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से पुस्तकालय विज्ञान के पाठ्यक्रम का प्रमाणपत्र और साथ में दो वर्ष का अनुभव : **वांछनीय** : 2 वर्ष अनुभव के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्था का पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा धारक	दो वर्ष	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
18–25 वर्ष	मिडिल पास या समतुल्य शैक्षिक अर्हता	दो वर्ष	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
यथोक्त	बागवानी के कार्य का कुछ अनुभव	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
18–25 वर्ष	मैट्रीकुलेट अशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट और टाइप में 40 शब्द प्रति मिनट की गति	दो वर्ष	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
18–21 वर्ष	मैट्रीकुलेट या समतुल्य अर्हता जब तक हायर सैकेन्डरी इसका स्थान न ले ले ।	दो वर्ष	यथोक्त	यथोक्त

[स० फा० ए० 12018/2/71—एम–3]

सी० आर० नायर,
अवर सचिव ।

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

New Delhi, the 17th June 1971

G.S.R. 1070.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Commission of Railway Safety, Technical Wing (Class I posts) Recruitment Rules, 1969, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Commission of Railway Safety, Technical Wing (Class I posts) Recruitment Amendment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Commission of Railway Safety, Technical Wing (Class I posts) Recruitment Rules, 1969 (hereinafter referred to as the said rules) for rule 5, the following rule shall be substituted, namely:—

"5. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

3. In the Schedule to the said rules,

(1) in column (1), after the existing entries, the entry "(4) Deputy Commissioner of Railway Safety (Operating)" shall be inserted;

(2) in column (2), for the figure '3', the figure '4' shall be substituted;

(3) for the entry in column (11), the following entry shall be substituted, namely:—

"*Transfer on deputation*

Officers in the Junior Administrative Grade from the Mechanical, Electrical (Traction).

Signalling and Tele-Communications, and Operating Departments of the Indian Railways.

(Period of deputation—ordinarily not exceeding five years)".

[No. RS.25.N(23)/68.]

A. R. GOEL, Under Secy.

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 जून, 1971

सा० का० नि० 1070.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल सुरक्षा आयोग, तकनीकी स्कंध (वर्ग 1 पद) भर्ती नियम, 1969 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

1. (1) इन नियमों का नाम रेल सुरक्षा आयोग, तकनीकी स्कंध (वर्ग 1 पद) भर्ती संशोधन नियम, 1971 होगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. रेल सुरक्षा आयोग, तकनीकी स्कंध (वर्ग 1 पद) भर्ती नियम 1969 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

5. **निरर्हताएं**—वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

3. उक्त नियमों की अनुसूची में,

(1) स्तम्भ 1 में, विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात्

"(4) रेल सुरक्षा उपायुक्त (प्रचालन)" प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी ;

(2) स्तम्भ 2 में, अंक "3 के स्थान पर अंक 4" प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(3) स्तंभ (ii) में की प्रविष्ट के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्ट प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"**प्रति नियुक्ति पर स्थानान्तरण**

(यांत्रिक, विद्युत, (कर्षण) से कनिष्ट प्रशासनिक श्रेणी के अधिकारी, भारतीय रेलों के संकतन, दूर-संचार, और प्रचालन विभाग ।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि —सामान्यतः पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।

[सं० आर० एस० 25—एन० (23)/68]

आत्माराम गोयल, अवर सचिव ।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 17th June 1971

G.S.R. 1071.—In exercise of the powers conferred by rules 2 and 8 and clause (a) of rule 8B of Order XXVII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) the Central Government hereby appoints Shri Babu Lal Maurya, Advocate at present Deputy Legal Adviser in the Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs) as a Government pleader on the Original side and the appellate side of the High Court at Delhi for the purpose of the said Order in relation to any Suit and proceedings by or against the Central Government with immediate effect and until further orders.

[No. F. 24(11)/71-J.]

A. S. CHAUDHRI, Jt. Secy.
and Legal Adviser.

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 17 जून, 1971

सा० का० नि० 1071.—सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आर्डर 27 के नियम 2 और 8 तथा नियम 8ख के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, किसी वाद और कार्यवाहियों के सम्बन्ध में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध की जाएं, श्री बाबू लाल मौर्य अधिवक्ता, वर्तमान में उपविधि सलाहकार, विधि और न्याय मन्त्रालय (विधिकार्य विभाग) को तत्काल और आगे आदेश होने तक, उक्त आर्डर के प्रयोजन के लिए उच्च न्यायालय की ओरिजनल साइड और अपीली साइड में सरकारी प्लीडर के रूप में नियुक्ति करती है ।

[सं० फा० 24(11)/71—न्या०]

ए० एस० चौधरी,
संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार ।

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 23rd June 1971

G.S.R. 1072.—In exercise of the powers conferred by rule 1 of Order XXVII of the First Schedule to the Code of Civil procedure, 1908 (5 of 1908), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Law No. S.R.O. 351, dated the 25th January, 1958, relating to the signing and verification of plaints and written statements in suits in any court of Civil Jurisdiction by or against the Central Government, namely:—

In the Schedule to the said notification, under the heading "V.A.—Department of Atomic Energy", after the sub-heading "(vii) Power Projects Engineering Division (Design Groups)" and entries occurring thereunder, the following shall be inserted, namely—

"(viii) Atomic Power Authority—

(i) Chairman-cum-Chief Executive, Atomic Power Authority;
(ii) Administrative Officer, Atomic Power Authority."

[No. F. 16(1)/70-J.]

B. S. SEKHON, Dy. Legal Adviser.

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 23 जून, 1971

सा० का० नि०.1072—सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश 27 के नियम 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, सिविल अधिकारिता रखने वाले किसी न्यायालय में केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध लाए गए वादों में वादपत्रों और लिखित कथनों पर हस्ताक्षर तथा उनके सत्यापन सम्बन्धी अधिसूचना सा० का० नि० आ० 351, तारीख, 25 जनवरी, 1958, भारत सरकार, विधि मंत्रालय में एतद्द्वारा निम्नलिखित अपर संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, "एक-परमाणु ऊर्जा" शीर्षक के [नीचे, " (vii) शक्ति परियोजना इंजीनियरी प्रभाग (डिजाइन ग्रुप)" उपशीर्षक और तद्धीन आने वाली प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

" (viii) परमाणु शक्ति प्राधिकारी —

(i) अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक, परमाणु शक्ति प्राधिकारी ;

(ii) प्रशासनिक अधिकारी, परमाणु शक्ति प्राधिकारी।"

[सं० फा० 16(1)/70—न्याय]

बी० एस० सेखों,
उप-विधि सलाहकार, भारत सरकार ।

(Department of Justice)

New Delhi, the 23rd June 1971

G.S.R. 1073.—The following Order made by the President is published for general information:—

ORDER

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 51 of the States Reorganisation Act, 1956 (37 of 1956), I, Varahagiri Venkata Giri, President of India, after consultation with the Governor of Madhya Pradesh and the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby direct that the following amendment shall be made in the Order dated 18th November, 1968, published with the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. G.S.R. 2098, dated the 28th November, 1968 (and which was republished in the Gazette of India dated the 7th December, 1968, as G.S.R. 2129), namely:—

In the said Order, for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that the Chief Justice may order that any case or class of cases arising in any such district shall be heard either at Jabalpur or at Gwalior."

New Delhi; June 13, 1971.

(Sd/- V. V. GIRI,

President.

[No. 11/3/71-Judl.(B).]

(न्यायिक विभाग)

नई दिल्ली, 23 जून, 1971

जी० एस० आर० 1073—राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का 37) की धारा 51 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, वाराहगिरि वैंकट गिरि, भारत का राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश के राज्यपाल और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से यह निदेश देता हूं कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं० जी० एस० आर० 2098, दिनांक 28 नवम्बर, 1968, (और जो तारीख 7 दिसम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में जो एस० आर० 2129 की संख्या में प्रकाशित किया गया था) के साथ प्रकाशित किये गये, तारीख 18 नवम्बर, 1968 के आदेश में निम्नलिखित संशोधन किया जायेगा, नामतः —

उक्त आदेश में, वर्तमान परन्तुक के लिए, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जायेगा नामतः वशर्ते कि मुख्य न्यायाधीश यह आदेश दे कि ऐसे किसी भी जिले में होने वाले किसी मामले अथवा किसी विशेष प्रकार के मामलों की सुनवाई या तो जबलपुर में होगी या ग्वालियर में"।

नई दिल्ली
जून 13 1971

ह० वी० वी० गिरि,
राष्ट्रपति।

[सं० 11/3/71—न्या० (ख)]

G.S.R. 1074.—The following Order made by the President is published for general information:—

ORDER

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 51 of the States Reorganisation Act, 1956 (37 of 1956), I, Varahagiri Venkata Giri, President of India, after consultation with the Governor of Madhya Pradesh and the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby direct that the following amendment shall be made in the Order dated 18th November, 1968, published with the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. G.S.R. 2099, dated the 28th November, 1968 (and which was republished in the Gazette of India dated the 7th December, 1968 as G.S.R. 2130), namely:—

In the said Order, for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that the Chief Justice may order that any case or class of cases arising in any such district shall be heard either at Jabalpur or at Indore."

New Delhi:
June 13, 1971.

Sd/ - V. V. GIRI,
President.

[No. 11/3/71-Judl.(B).]

K. THYAGARAJAN, Dy. Secy.

जी० एस० आर० 1074.—राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का 37) की धारा 51 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, वाराहगिरि वैंकट गिरि, भारत का राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश के राज्यपाल और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से यह निदेश देता हूं कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं० जी० एस० आर० 2098, दिनांक 28 नवम्बर, 1968, (और जो तारीख 7 दिसम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में जी० एस० आर० 2129 की संख्या से प्रकाशित किया गया था) के साथ प्रकाशित किये गये, तारीख 18 नवम्बर, 1968 के आदेश में निम्नलिखित संशोधन किया जायेगा, नामत :—

उक्त आदेश में, वर्तमान परन्तुक के लिए, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जायेगा, नामत :—

"बशर्ते कि मुख्य न्यायाधीश यह आदेश दें कि ऐसे किसी भी जिले में होने वाले किसी मामले अथवा किसी विशेष प्रकार के मामलो की सुनवाई या तो जबलपुर में होगी या इन्दौर में" ।

ह० वी० वी० गिरि,
राष्ट्रपति,

नई दिल्ली,
जून, 13, 1971

[सं० 11/3/71—न्यायिक (ख)]

ज्येष्ठ, 23, 1893

के० त्यागराजन,
उप सचिव ।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 23rd June 1971

G.S.R. 1075.—In exercise of the powers conferred by rule 1 of Order XXVII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), the Central Government hereby makes the following amendments to the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board) No. GSR. 1659 dated the 14th August 1968, namely:

In the Schedule to the said notification—

(I) in item 3, after sub-item (ii) the following sub-items shall be inserted, namely:—

"(iii) Chief Mechanical Engineer

(iv) Controller of Stores

(v) Deputy Chief Electrical Engineer

(vi) Deputy Chief Personnel Officer".

(II) in item 5 the existing sub-item shall be numbered as sub-item (i) and after it is so numbered, the following sub-item shall be inserted, namely:—

(ii) Deputy Chief Personnel Officer

(iii) Deputy Chief Controller of Stores".

[No. F.E.(G)67LL2-27.]

C. S. PARAMESWARAN,
Secy. Railway Board.

रेलवे मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 23 जून, 1971

जी० एस० आर० 1075.—सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश xxvii के नियम 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना सं० जी० एस० आर० 1659 दिनांक 14 अगस्त, 1968 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में—

(i) मद 3 में, उप मद (ii) के बाद निम्नलिखित उप मदों को अन्तर्विष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

"(iii) मुख्य यांत्रिक इंजीनियर

(iv) भंडार नियंत्रक

(v) उप मुख्य बिजली इंजीनियर

(vi) उप मुख्य कार्मिक अधिकारी।"

(ii) मद 5 में, वर्तमान उप मद को उप मद (i) के रूप में अंकित किया जाये और उसे इस तरह अंकित कर दिये जाने के बाद निम्नलिखित उप मद को अन्तर्विष्ट किया जाये, अर्थात् :—

"(ii) उप मुख्य कार्मिक अधिकारी

(iii) उप मुख्य भंडार नियंत्रक।"

[सं० ई० (जी०) 67 एल० एल०—2—27]

सी० एस० परमेश्वरन,
सचिव, रेलवे बोर्ड।

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 24th June 1971

G.S.R. 1076.—Whereas certain draft rules further to amend the Explosives Rules, 1940, were published as required by section 18 of the Indian Explosives Act, 1884 (4 of 1884) at p. 2736 of the Gazette of India, Part II—Section 3—Sub-Section (i), dated the 8th August, 1970, under the notification of the Government of India in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Department of Industrial Development), No. GSR. 1133, dated the 29th July, 1970, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the 30th August, 1970;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 8th August, 1970;

And whereas no objections and suggestions have been received by the Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 5 and 7 of the Indian Explosives Act, 1884 (4 of 1884), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Explosives Pules, 1940, namely:—

1. These rules may be called the Explosives (Second Amendment) Rules, 1971.

2. In Schedule IV to the Explosives Rules 1940, (i) in the entries relating to Article No. 8, in Column 5, for the existing entry, the following entries shall be substituted, namely:—

"Gunpowder or mixed Explosive or any other Explosive"

Rs. 45 for the first 100 Kg. plus Rs. 22.50 for every additional 50 Kg. or part thereof subject to a maximum of Rs. 300.

Fireworks only

Rs. 30 for the first 100 Kg. plus Rs. 15 for every additional 50 Kg. or part thereof subject to a maximum of Rs. 200"

(ii) Article No. 9 and the entries relating thereto shall be omitted.

[No. 11/17/71-LI(ii).]

औद्योगिक विकास और आन्तरिक व्यापार मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 24 जून, 1971

सा० एस० आर० 1076.—यतः विस्फोटक नियम, 1940 में जो और आगे संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 18 की अपेक्षानुसार भारत सरकार के औद्योगिक विकास और आन्तरिक व्यापार मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 1133, तारीख 29 जुलाई, 1970 के साथ भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3—उपखण्ड (i) तारीख 8 अगस्त, 1970 में पृष्ठ 2736 पर प्रकाशित किए गए थे, जिनमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिन पर उनका प्रभाव पड़ना संभाव्य था, 30 अगस्त, 1970 तक आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

और यतः उक्त राजपत्र जनता को 8 अगस्त, 1970 को उपलब्ध करा दिया गया था।

और यतः सरकार को कोई भी आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

अतः अब भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 5 और धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार विस्फोटक नियम, 1940 को और आगे संशोधित करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:—

1. इन नियमों का नाम विस्फोटक (द्वितीय संशोधन) नियम, 1971 होगा।

2. विस्फोटक नियम, 1940 की अनुसूची 4 में,

(i) स्तम्भ 5 में, वस्तु सं० 8 से सम्बन्धित प्रविष्टियों में, विद्यमान प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"बारूद या मिश्रित विस्फोटक या अन्य कोई विस्फोटक

प्रथम 100 किलोग्राम के लिए 45 रुपये और इसके साथ प्रत्येक अतिरिक्त 50 किलोग्राम या उसके भाग के लिए 22.50 रुपये, अधिक से अधिक 300/— रुपये के अधीन रहते हुए।

केवल आतिशबाजी

प्रथम 100 किलोग्राम के लिए 30/— रुपये और इसके साथ प्रत्येक अतिरिक्त 50 किलोग्राम या उसके भाग के लिए 15/—रुपये, अधिक से अधिक 200/— रुपये के अधीन रहते हुए।"

(ii) अनुच्छेद सं० 9 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां निकाल दी जाएंगी।

[सं० 11/17/71-एल० आई० (ii)]

G.S.R. 1077.—Whereas certain draft rules further to amend the Explosives Rules, 1940, were published as required by section 18 of the Indian Explosives Act, 1884 (4 of 1884) at p. 2734 of the Gazette of India, Part II—Section 3—Sub-section (i), dated the 8th August, 1970, under the notification of the Government of India in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Department of Industrial Development), No. GSR. 1132, dated the 29th July, 1970, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the 30th August, 1970;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 8th August, 1970;

And whereas no objections and suggestions have been received by the Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 5 and 7 of the Indian Explosives Act, 1884 (4 of 1884), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Explosives Rules, 1940, namely:—

1. These rules may be called the Explosives (Amendment) Rules, 1971.

2. In rule 92 of the Explosives Rules, 1940 (hereinafter referred to as the said rules), in sub-rule (1),

(i) the words "other than the Central Government" shall be omitted;

(ii) The following proviso shall be added, namely:—

"Provided that before refusing to grant, amend or renew a licence under this rule, the applicant shall be given an opportunity of being heard."

3. In rule 93 of the said rules,—

(a) clause (i) shall be re-numbered as sub-rule (1) thereof, and to sub-rule (1) as so re-numbered, the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that before suspending or cancelling a licence under this rule, the holder of such licence shall be given an opportunity of being heard:

Provided further that no such opportunity shall be given in cases,—

(i) where the licence is being suspended for violation of any of the provisions of the Act or these rules, or of any condition contained in such licence and in the opinion of the licensing authority, such violation is likely to cause danger to the public; or

(ii) where the licence is suspended or cancelled by the Central Government, if that Government considers that in the public interest or in the interests of the security of the State, such opportunity should not be given.";

(b) for clause (ii), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(2) A licensing authority or the Central Government, suspending or cancelling a licence under sub-rule (1), shall record its reasons for so doing in writing.";

(c) clause (iii) shall be re-numbered as sub-rule (3) thereof.

[No. 11/17/71-LI.(ii).]

M. SUBRAMANYAN, Under Secy.

जी० एस० आर० 1077.—यत: विस्फोटक नियम, 1940 में और आगे संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 18 की अपेक्षानुसार भारत सरकार के औद्योगिक विकास और आन्तरिक व्यापार मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 1132, तारीख 29 जुलाई, 1970 के साथ भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3,—उपखण्ड (i) तारीख 8 अगस्त, 1970 में पृष्ठ 2734 पर प्रकाशित किए गए थे जिनमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिन पर उनका प्रभाव पड़ना संभाव्य था, 30 अगस्त, 1970 तक आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और यत: उक्त राजपत्र जनता को 8 अगस्त, 1970 को उपलब्ध करा दिया गया था;

और यत: सरकार को कोई भी आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः अब भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 5 और धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार विस्फोटक नियम, 1940 को और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. इन नियमों का नाम विस्फोटक (संशोधन) नियम, 1971 होगा ।

2. विस्फोटक नियम, 1970 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 92 में, उप-नियम (i) में

(i) "केन्द्रीय सरकार से भिन्न" शब्द निकाल दिए जाएंगे ।

(ii) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु इस नियम के अधीन अनुज्ञप्ति देने, उसे संशोधित करने या उसका नवीकरण करने से इन्कार करने से पूर्व आवेदक को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा ।"

3. उक्त नियमों के नियम 93 में —

(क) खण्ड (i) को उसके उपनियम (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और ऐसे पुनः संख्यांकित उप-नियम (1) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु इस नियम के अधीन अनुज्ञप्ति को निलम्बित या रद्द करने से पूर्व, ऐसी अनुज्ञप्ति के धारक को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा ।

परन्तु यह और कि ऐसा कोई अवसर उन दशाओं में नहीं दिया जाएगा,

(i) जिनमें अनुज्ञप्ति, अधिनियम या इन नियमों के किसी उपबन्ध का, या ऐसी अनुज्ञप्ति में अन्तर्विष्ट किसी शर्त का उल्लंघन करने के लिए निलम्बित की जा रही हो और अनुज्ञापन प्राधिकारी की राय में ऐसे उल्लंघन से जनता के लिए खतरा कारित होना संभाव्य हो, या

(ii) जिनमें अनुज्ञप्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा निलम्बित या रद्द की गई है, यदि वह सरकार यह समझती है कि लोक हित में या राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसा अवसर नहीं दिया जाना चाहिए ।"

(ख) खण्ड (ii) के लिए निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"(2) उपनियम (1) के अधीन अनुज्ञप्ति का निलम्बित या रद्द करने वाला अनुज्ञापन प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार ऐसा करने के जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करेगा/करेगी ।

(ग) खण्ड (iii) को उसके उपनियम (3) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा ।

[सं० 11/17/71-एल० आई० (ii)]

एम० सुब्रह्मण्यम,
अवर सचिव ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 30th June 1971

G.S.R. 1078.—In exercise of the powers conferred by rule 106 of the Fundamental Rules, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Supplementary Rules, namely:—

1. (1) These rules may be called the Supplementary (Second Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Supplementary rules:—

(a) in rule 294-A, for clause (2) of the proviso, the following shall be substituted, namely:—

"(2) who, though not specially recruited outside the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of the Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands, as the case may be, for service in the respective Union territory, is domiciled in any part of India other than the Union territory concerned,

The joining time shall be held to commence on the day following the handing over of charge of the Government servant's post or on the day of his arrival at the specified station according as the Government servant is proceeding from or to the place in the remote locality. To the joining time admissible under this rule, may be added any joining time, including days allowed for preparation, that a Government servant may be entitled to under clause (a) or clause (b) of Fundamental Rule 105 for such portion of his journey as may not be covered by this rule."

(b) after rule 294-A, the following rule shall be inserted, namely:—

"S.R. 294-B(1)—A Government servant who is domiciled in a Union territory specified in column (1) of the Table below and is recruited for service within that Union territory, is entitled to joining time under clause (d) of Fundamental Rule 105 as shown in column (2) of the said Table, for the journey by sea from one island to another within the same Union territory, irrespective of whether the journey is performed on transfer or on leave:

Provided that, in the case of leave, this concession shall be admissible only once a year.

(2) A Government servant who is domiciled in any part of India other than a Union territory specified in column (1) of the table referred to in such rule (1) and is recruited whether within or outside that Union territory for service there, is entitled to joining time as shown in column (2) of the said Table, for the journey by sea on transfer from one island to another within the same Union territory:

Provided that—

(a) on transfer from one island in that Union territory to a place on the mainland, and

(b) while proceeding on leave from his post in an island in the Union territory concerned to his home town on the mainland or while returning from leave from his home town on the mainland to join his post in an island in the Union territory concerned,

his joining time shall be regulated under clause (c) of Fundamental Rule 105 read with S.R. 294-A.

(3) To the joining time admissible under this rule may be added any joining time including days allowed for preparation that a Government servant may be entitled under clause (a) or clause (b) of Fundamental Rule 105 for such portion of his journey as may not be covered by this rule.

THE TABLE

Name of Union territory	Joining time	Remarks
(1)	(2)	(3)
The Andaman and Nicobar Islands.	7 days	The joining time admissible under this rule will be limited to the actual time taken in transit including halts awaiting the steamer or boat, subject to the maximum period shown in column (2).
The Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands.	7 days	Do.

[No. 6(6)-E.IV(B)/70.]

V. K. PANDIT, Under Secy.

(Department of Revenue and Insurance)

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 24th July 1971

G.S.R. 1079.—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely:—

1. These rules may be called the Central Excise (Tenth Amendment) Rules, 1971.

2. In rule 2 of the Central Excise Rules, 1944, in clause (ii) (A), in sub-clause (h), after the word "Assam", the brackets and words "(including the autonomous State of Meghalaya)" shall be inserted.

[No. 137/71-CE/F. No. 5/4/71-CX.I.]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1971

सा० का० नि० 1079.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् —

1. इन नियमों का नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (दसवां संशोधन) नियम, 1971 होगा ।

2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 2 के खण्ड (ii) (क) के उपखण्ड (ज) में "आसाम" शब्द के पश्चात् "(स्वायत शासी राज्य मेघालय को सम्मिलित करके)" शब्द और कोष्ठक अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

[सं० 137/71-सी०ई०/फा०सं०/5/4/71-सी० एक्स० I]

G.S.R. 1080.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 171/70-Central Excises, dated the 21st November, 1970, namely:—

In the Table annexed to the said notification, (1) in S. No. 2 for the entry in column 4 the following entry shall be substituted, namely:—

"Not exceeding 225 grams per break of an invoice" (2) in S. No. 18, in the entry in column 4, for the figures "0.5" the figures "0.05" shall be substituted;

(3) after S. No. 20, the following shall be inserted namely:—

TABLE

S.No.	Item No. of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944.	Description of goods removed as samples.	Limitation with regard to number/ size/ weight/ volume, if any.	Conditions
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"20A	31	Electric batteries (lead Acid batteries)	Not exceeding 1% of the total production during the preceding financial year.	(1) The manufacturer furnishes a certificate from the officer-in-charge of the institution that the sample is required for testing purposes: (2) The manufacturer undertakes to produce a certificate of actual destruction of the samples from the officer-in-charge of the institution within such period as the Collector of Central Excise may specify for the purpose; and (3) The manufacturer gives a written undertaking to the effect that in case of failure to produce the certificate in respect of any sample as specified in condition (2) above, he shall pay, on demand, the duty leviable on such sample."

[No. 139/71.]

J. P. KAUSHIK, Under Secy.

सा०का०नि० 1080.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 171/70 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 21 नवम्बर, 1970 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से अनुबद्ध सारणी में,

(1). क्रम संख्या 2 में स्तम्भ 4 की प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात :—

"बीजक के प्रति ब्रेक पर 225 ग्राम से अधिक नहीं"

(2) क्रम संख्या 18 में स्तम्भ 4 की प्रविष्टि में "0.5" अंकों के लिए "0.05" अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(3) क्रम संख्या 20 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

सारणी

क्रम संख्या	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 की पहली अनुसूची की मद संख्या	नमूनों के रूप में हटाए गए माल का वर्णन	संख्या/आकार/वजन आयतन के संबंधन में परिसीमा, यदि कोई हो	शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"20क	31	विद्युत बैटरी (लेड एसिड बैटरी)	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कुल उत्पादन का 1 प्रतिशत से अधिक नहीं	(1) विनिर्माता, संस्था के भारसाधक अधिकारी से लेकर यह प्रमाण पत्र दे कि नमूना परीक्षण के लिए अपेक्षित है । (2) विनिर्माता नमूनों को वस्तुतः नष्ट कर दिए जाने का प्रमाण पत्र संस्था के भार-साधक अधिकारी से लेकर उतनी अवधि के भीतर देने का वचन दे जितनी इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय उत्पादशुल्क कलक्टर विनिर्दिष्ट करे । (3) विनिर्माता इस आशय का लिखित वचन दे कि उपर शर्त (2) में नमूने की बाबत प्रमाण पत्र न देने की दशा में वह, मांग की जाने पर ऐसे नमूने पर उदग्रहणीय शुल्क देगा ।"

[सं० 139/71]

जी० पी० कौशिक, अवर सचिव ।

(Department of Revenue and Insurance)

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 24th July 1971

G.S.R. 1081.—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely:—

1. These rules may be called the Central Excise (Eleventh Amendment) Rules 1971.

2. In the Central Excise Rules, 1944, in rule 96-D-(i) in sub-rule (1) for the words "from one factory to a processing factory", the words "from one factor to another factory including a processing factory", shall be substituted;

(ii) in sub-rule (3), in the opening paragraph, for the words "to a processing factory", the words "to another factory including a processing factory", shall b substituted; and

(iii) in sub-rule (4), for the words "for home consumption from the processi factory", the words "for home consumption from the factory including a processing factory", shall be substituted.

[No. 140/71-C.E./F. No. 19/21/69-CX.8.]

K. L. MUKHERJI, Under Secy

(राजस्व और बीमा विभाग)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1971

सा० का० नि० 1081.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. इन नियमों का नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 1971 होगा ।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 96-घ में, —

(i) उपनियम (1) में "एक कारखाने से किसी संसाधन कारखाने को" शब्दों के लिए "एक कारखाने से किसी दूसरे कारखाने को, जिसके अन्तर्गत संसाधन कारखाना भी है" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपनियम (3) के प्रारम्भिक पैरे में, —

"किसी संसाधन कारखाने को "शब्दों के लिए" किसी दूसरे कारखाने को, जिसके अन्तर्गत संसाधन कारखाना भी है" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; और

(iii) उपनियम (4) में "संसाधन कारखाने से गृह उपभोग के लिए "शब्दों के लिए" कारखाने से, जिसके अन्तर्गत संसाधन कारखाना भी है, गृह उपभोग के लिए" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं० 140/71—के०उ०शु०/फा० सं० 19/21/69—के०उ

के० एल० मुखर्जी, अ

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 17th July 1971

G.S.R. 1082.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Foodgrains (Prohibition of Use in Manufacture of Starch) Order, 1966, namely:—

1. (1) This Order may be called the Foodgrains (Prohibition of Use in Manufacture of Starch) Amendment Order, 1971.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Foodgrains (Prohibition of Use in Manufacture of Starch) Order, 1966, for sub-clause (a) of clause 2, the following sub-clause shall be substituted, namely:—

"(a) "foodgrains" means all foodgrains other than hybrid maize and desi maize grown in India."

[No. 205(Genl)(2)/43/71-PY.II.]

U. S. PANDE, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 1971

सा० का० नि० 1082.—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा खाद्यान्न (स्टार्च के विनिर्माण में प्रयुक्त करने का प्रतिषेध) आदेश, 1966 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात :—

1. (1) इस आदेश का नाम खाद्यान्न (स्टार्च के विनिर्माण में प्रयुक्त करने का प्रतिषेध) संशोधन आदेश, 1971 होगा।

(2) यह शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. खाद्यान्न (स्टार्च के विनिर्माण में प्रयुक्त करने का प्रतिषेध) आदेश, 1966 में खण्ड 2 के उपखण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

"(क) "खाद्यान्न" से भारत में उपजी संकर मक्का और देसी मक्का से भिन्न सभी खाद्यान्न अभिप्रेत है ।"

[सं० 205 (सा०) (2)/43/71-पी० आई० II]

यू० एस० पांडे, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971